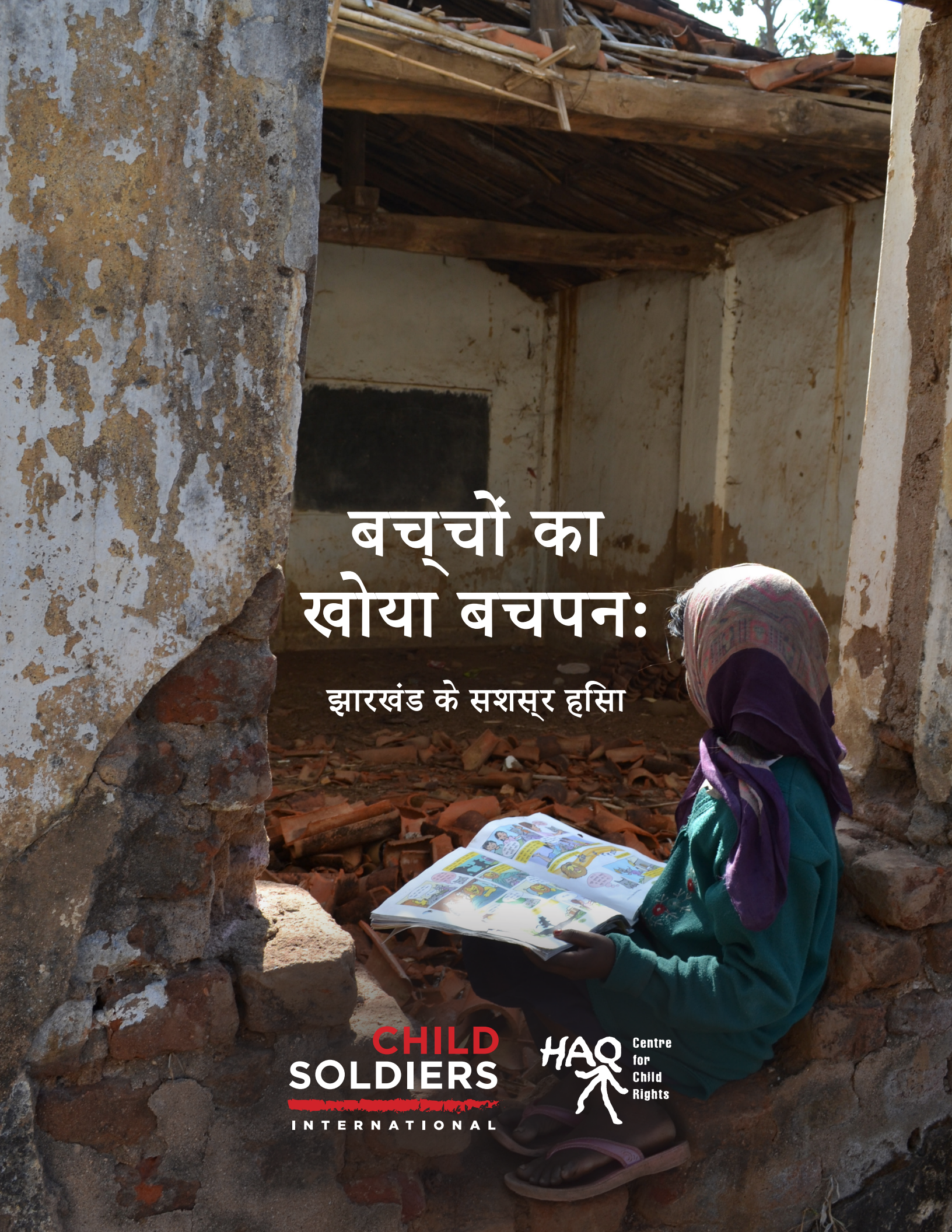

बच्चों का खोया बचपन:

झारखंड के सशस्त्र हिंसा

CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL

HAQ Centre for Child Rights

विषय सूची

पारिभाषिक शब्दावली.....

झारखंड में बच्चों पर सशस्त्र हिंसा का प्रभाव.....

कार्यकारी सारांश.....

प्रमुख सिफारिशें

सीपीआई (माओवादी), पीएलएफआई (PLFI) और अन्य सशस्त्र समूहों के लिए.....

झारखंड राज्य सरकार के लिए.....

कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली.....

झारखंड में सशस्त्र हिंसा और बच्चों की भागीदारी का संदर्भ.....

झारखंड.....

गैर-राज्य सशस्त्र समूहों द्वारा बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग पर
रोक लगाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक मानक.....

झारखंड में वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और उपयोग.....

वामपंथी सशस्त्र समूहों में बच्चों की भूमिका.....

सीपीआई (माओवादी) द्वारा जबरदस्ती बच्चों की भर्ती.....

पीएलएफआई (PLFI) द्वारा बच्चों की भर्ती और उन पर हमले.....

शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव.....

राज्य का कर्तव्य सशस्त्र संघर्ष में शामिल बच्चों की रक्षा करना है
न कि उन्हें सज़ा देना.....

सिफारिशें.....

पारिभाषिक शब्दावली

आदिवासी: मूलतः "मूल बाशिंदा", भारत में स्थानीय आदिवासी समुदाय का उल्लेख करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द।

आंगनवाड़ी केन्द्र: गर्भनिरोधक परामर्श और आपूर्ति, पोषण शिक्षा और अनुपूरण के साथ ही पूर्वस्कूली गतिविधियों सहित भारतीय गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ।

बाल संगम / बाल दस्ता: भाकपा (माओवादी) की ग्राम-स्तरीय बाल एसोसिएशन।

ब्लॉक: प्रशासनिक प्रभाग। कई ब्लॉकों एक जिला बनता है।

भाकपा (माओवादी): भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी)।

सीआरसी: बाल अधिकारों पर सम्मेलन

दलम: वामपंथी विचारधारा के तहत कार्यरत समूहों की सशस्त्र इकाई

दलित: मूलतः "आर्थिक रूप से पिछड़े" लोग, "अछूत" के रूप में भी जाना जाता है। भारत की पारंपरिक जाति व्यवस्था के बाहर के माने जाने वाले उन व्यक्तियों के लिए एक शब्द, जिन्हें अक्सर उच्च जातियों द्वारा भेदभाव और शोषण का शिकार होना पड़ता है।

डीजीपी: पुलिस महानिदेशक, राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग का पुलिस अधिकारी।

जिला: राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक उप-प्रभाग।

जिला मजिस्ट्रेट: सबसे वरिष्ठ जिला स्तरीय प्रशासनिक पद।

लाख: दक्षिण एशिया में सामान्यतः 100,000 के बराबर इस्तेमाल की जाने वाली संख्यांकन की इकाई।

लुसंस दिशानिर्देश: *सशस्त्र संघर्ष के दौरान सैन्य उपयोग से स्कूलों और विश्वविद्यालयों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश* सशस्त्र संघर्ष वाली पार्टियों से सैन्य प्रयास के समर्थन में किसी भी उद्देश्य के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों का उपयोग न करने का आग्रह करता है।

एलडब्ल्यूई: वामपंथी उग्रवाद, देश में सक्रिय अनेकों वामपंथी अराजक सशस्त्र समूहों का वर्णन करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक छत्र शब्द।

नक्सल / नक्सली: भारत में माओवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले विद्रोही समूहों का वर्णन करने के लिए, 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में साम्यवाद प्रेरित किसान विद्रोह के नाम पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द।

एनसीपीसीआर: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण

पीएलएफआई: पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ इंडिया।

पीएलजीए: पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, भाकपा (माओवादी) की स्थायी सेना।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: भारत के संविधान की अनुसूची में सूचीबद्ध विभिन्न जातीय और जनजातीय समूहों को संदर्भित करता है, जिसके तहत उन्हें विशेष अधिकारों और सुरक्षा का लाभ मिलता है।

एसपी: पुलिस अधीक्षक, जिले का सर्वोच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी।

जनजातीय: भारत में स्थानीय लोगों का उल्लेख करने के लिए अक्सर उपयोग किया जाने वाला शब्द।

झारखंड में बच्चों पर सशस्त्र हिंसा का प्रभाव

कार्यकारी सारांश

मैं संगठन में भाषा, विज्ञान, गणित और माओ विचारधारा पढ़ते हुए पला बढ़ा। जल्दी ही मैं कंप्यूटर सीख गया और प्रेस विज्ञप्तियां, क्रांतिकारी कविताएँ, पोस्टर और बैनरों के लिए क्रांतिकारी संदेशों को टाइप करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने 12 साल की उम्र पूरी की, मुझे हथियार चयन करने का मौका दिया गया जिनका मुझे प्रशिक्षण दिया जाना था। मैंने INSAS[1] [स्वचालित] राइफलें और कार्बाइनों को पसंद किया

इस 17 वर्षीय लड़की ने मध्य भारत के दस राज्यों में कार्यरत वामपंथी सशस्त्र समूहों में से एक में पहले ही एक दशक से भी अधिक समय बिताया था जब चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने अगस्त 2015 में भारतीय राज्य झारखंड में उसका साक्षात्कार किया। पुलिस के मुखबिरों से संवाद स्थापित करने के संदेह में अपने वरिष्ठों के साथ एक विवाद के बाद वह भागकर आ गई थी। उसे डर था कि उसे या उसके परिवार को समूह से प्रतिशोध का सामना करना होगा, वह साक्षात्कार के समय छिप रही थी।

उसकी कहानी बिल्कुल अनोखी नहीं है। उसी की तरह कई बच्चों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) (सीपीआई (माओवादी)) और अन्य वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा तथाकथित छेड़े जा रहे 'जन संग्राम' में झोक दिया है, जिसे भारत सरकार ने "वामपंथी उग्रवाद" (एलडब्ल्यूई) (LWE) के रूप में व्यापक तौर पर निर्दिष्ट किया है।[2] माओवादियों ने स्वतन्त्र विचारधारा अपनायी है, जिसमें वे *दलितों* और *आदिवासियों* सहित ऐतिहासिक दृष्टि से गरीब और वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा और राज्य को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गुरिल्ला युद्ध में संलग्न होने का दावा करते हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम)

[1] भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली, राज्य संचालित भारतीय आयुध कारखानों द्वारा उत्पादित छोटी कैलिबर राइफल की एक श्रृंखला। भारतीय आयुध फैक्टरी बोर्ड, 'हथियार' देखें, http://ofbindia.gov.in/index.php?wh=Weapons&lang=en.

[2] 'वामपंथी उग्रवाद' शब्द का भारत सरकार के उपयोग में 'उग्रवाद' के गठन को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, जिससे इसकी व्याख्या अधूरी है। चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे भारतीय राज्यों में गैर-राज्य सशस्त्र सक्रिय समूहों की वामपंथी झुकाव की सीमा निरूपित करते हुए एक छत्र शब्द के रूप में 'वामपंथी सशस्त्र समूह' का प्रयोग करते हैं। 'माओवादी' शब्द को सीपीआई (माओवादी) और अन्य गैर-राज्य सशस्त्र समूहों के रूप में ज्ञात समूहों के पर्याय में प्रयोग किया जाता है।

अधिनियम 1967,[3] के अंतर्गत आतंकवादी संगठनों के रूप में ऐसे कई समूहों को चिन्हित किया है और दशकों से उनके खिलाफ उग्रवाद रोधी कार्रवाइयों में सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या को तैनात किया है।

अति गरीबी, भेदभाव, शोषण, भ्रष्टाचार और शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण तक सुरक्षित पहुँच की कमी, ग्रामीण भारत के कई क्षेत्रों में समुदायों के जीवन को चित्रित करती है, जो राज्य से वामपंथी सशस्त्र समूहों की दुश्मनी में मदद करने के लिए ईंधन का काम करते हैं। परिणामस्वरूप, आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में लगे हुए सुरक्षा बलों पर मनमाने ढंग से गिरफ्तारी करने और वामपंथी सशस्त्र समूहों का समर्थन करने के संदेह में ग्रामीणों की यातना सहित ऐसे कई मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया जाता है, जिससे केवल स्थिति बद से बदतर ही हुई है।

यह रिपोर्ट अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच झारखंड के राज्य में किए गए शोध पर आधारित है, जहां सीपीआई (माओवादी) कई जिलों में प्रमुख वामपंथी सशस्त्र समूह है, लेकिन वहीं, भारतीय पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (पीएलएफआई)(PLFI) सहित अन्य समूह भी कार्य करते हैं। चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने जुलाई 2014 से दिसंबर 2015 तक झारखंड में सीपीआई (माओवादी) द्वारा बच्चों की भर्ती के 40 मामले प्रलेखित किए हैं। इसके अलावा, हमने सीपीआई (माओवादी) के कैडर द्वारा बालिका सैनिकों के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के छह मामले 2015 में प्रलेखित किए हैं। हमारे शोध में पाया गया कि झारखंड में वामपंथी सशस्त्र समूह बच्चों के खिलाफ निम्न संगीनउल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हैं:

- हत्या और अपंग कर देना,
- भर्ती और सैनिकों के रूप में उपयोग करना,
- अपहरण,
- यौन हिंसा और
- स्कूलों पर हमले।

सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ युद्ध के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता पर ध्यान देने की आवश्यकता के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पहचाने गए 'छह गंभीर उल्लंघनों' में से ये पांच का गठन करते हैं।[4]

झारखंड में वामपंथी सशस्त्र समूहों ने बच्चों की हत्याएँ कर दी, आम तौर पर जिनपर पुलिस के मुखबिर होने का संदेह था और वे स्वीकार करते हैं कि दस साल तक के बच्चों को उनके खेमे में भर्ती किया जाता है। हालांकि नेता लगातार दावा करते रहे हैं कि वे 16 साल से कम आयु के बच्चों को लड़ाकू अभियानों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देते, लेकिन हमने प्रमाण दिखाया कि 12 साल से कम आयु के बच्चे प्रत्यक्ष मुकाबले के माध्यम या युद्ध में सक्रिय रूप से समर्थन की भूमिकाओं में भाग लेते हैं। उन्हें हथियार चलाने का

---

[3] गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (30-03-2015 के अनुसार), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की धारा 35 के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची http://www.mha.nic.in/BO

[4] छः गंभीर उल्लंघन निम्न हैं: बच्चों की हत्या और उन्हें अपंग कर देना; बच्चों की भर्ती या सैनिकों के रूप में उपयोग; बच्चों का अपहरण; बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा; स्कूलों या अस्पतालों पर हमले; बच्चों को मानवीय पहुँच से वंचित रखना.

प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और बोझा ढोने, पहरेदारी और सैन्य अभियानों के दौरान खुफिया संदेशवाहकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी रिपोर्ट में अपहृत किए गए बच्चों को जबरन भर्ती करने के बारे में भी प्रलेखित किया गया है, प्रतिशोध के डर से माता-पिता अपने बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करने से डरते हैं। हमें वामपंथी सशस्त्र समूहों के खेमे में भर्ती युवा लड़कियों के यौन शोषण की व्यापक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, साथ ही ऐसी खबरें भी मिली हैं कि लड़कियों को विशेष रूप से इस लिये भर्ती किया जाता है ताकि लड़कों को उनके साथ यौन संतुष्टि के अवसरों के वादे के साथ सशस्त्र समूहों में शामिल किया जा सके। अंत में, हमने स्कूलों के खिलाफ वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा हमलों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है, इसके दो कारण हैं, एक तो सुरक्षा बल उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा दूसरे वे राज्य के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए आसान लक्ष्य हैं।

फायरिंग लाइन में पकड़े गये बच्चों पर संघर्ष के विनाशकारी प्रभाव स्पष्ट दिखते हैं। दोनों पक्ष उन बहुत से लोगों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार हनन के आरोपी हैं, जिनकी वे रक्षा करने का दावा करते हैं। अगर बच्चे वामपंथी सशस्त्र समूहों में शामिल होने से इंकार कर देते हैं, तो उन्हें या उनके परिवारों को घातक प्रतिशोध का जोखिम रहता है। यदि वे शामिल होने का चुनाव करते हैं या मजबूर किए जाते हैं, तो उन्हें सशस्त्र टकराव में मारे जाने, अपंग किए जाने या आग या विस्फोट करने वाले ऐसे उपकरण/या संयंत्र जिन्हे तार जोड़कर सक्रिय करना होता है, उनसे मारे जाने या घायल होने का खतरा रहता है, या जासूसी करने का शक होने पर स्वयं सशस्त्र समूहों द्वारा मारे जाने का जोखिम बना रहता है। अगर वे खेमे से भागने की कोशिश करते हैं या सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े जाते हैं, तो उन्हें उचित पुनर्वास, परामर्श और पुनः एकीकरण सेवाओं के बजाय कड़े दंड दिए जाने का खतरा रहता है, कानूनों और प्रक्रियाओं के तहत मुकदमा चलाए जाने का खतरा रहता है, जो किशोर न्याय के मानकों वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का पालन नहीं करते और उनसे मनमाने ढंग से हिरासत में रखने और यातना देने का अधिक खतरा रहता है।

वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा बलों की भर्ती और शत्रुता में बच्चों के उपयोग की सरकार की निंदा स्पष्ट और प्रभावी सुरक्षा नीतियों के अनुरूप नहीं है। हालांकि पुलिस और अदालतों सहित अन्य अधिकारी, स्वीकार करते हैं कि सशस्त्र समूह बच्चों का अपहरण या भर्ती कर रहे हैं, झारखंड की राज्य सरकार इन प्रथाओं को समाप्त करने की ठोस कार्रवाई करने में पूरी तरह नाकाम रही है। वास्तव में, राज्य को एक व्यापक अभ्यास के लिए समस्या का स्तर निर्धारित करना अभी तक बाकी है और वामपंथी सशस्त्र समूहों के खेमे में बच्चों की संख्या पर कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

केंद्र सरकार और झारखंड राज्य सरकार को राज्य में बच्चों की भर्ती और वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा उनके उपयोग को समाप्त करने और रोकने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। बाल सुरक्षा एजेंसियों को उचित संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। झारखंड राज्य सरकार को समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) के तहत स्थापित बाल कल्याण समितियों को मजबूत करते हुए उन जिलों में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने चाहिए, जहां वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं; और राज्य भर में कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुधार गृहों की पर्याप्त संख्या की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन करना चाहिए।. झारखंड राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू करने की ज़रुरत है जिसमे ये सुनिश्चित किया जाए कि कि स्कूल सुरक्षित हैं और यह कि बच्चे भावनात्मक रूप से

या मजबूर होकर भर्ती की चपेट में नहीं आएंगे। इसके अलावा, भारत के स्कूलों और विश्वविद्यालयों की सैन्य उपयोग से सुरक्षा के लिए 2015 लुसंस दिशानिर्देश (Lucens Guidelines) का समर्थन करना चाहिए और इसके कानूनों, नीतियों और सैन्य नियमों की समीक्षा करके उनका पालन करवाना चाहिए। केंद्र सरकार को फिर से भर्ती होने के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित बाल सैनिकों के पुनः एकीकरण पर स्पष्ट नीतियाँ विकसित करनी चाहिए और उन नीतियों को अमल में लाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर न्याय कानून ठीक से लागू हो रहे हैं, भर्ती होने वाले और उपयोग किए जाने वाले या अन्य उल्लंघनों से पीड़ित बच्चों की देखभाल और संरक्षण की जरूरत पूरी की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनके पुनर्वास और पुनः एकीकरण के कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है।

प्रमुख सिफारिशें

<u>सीपीआई (माओवादी), पीएलएफआई (PLFI) और अन्य सशस्त्र समूहों के लिए:</u>

- बच्चों की सैन्य भर्ती और उपयोग के निषेध वाले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों का सम्मान करें। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती और उपयोग को परिभाषित किए अनुसार निषेध करने और रोकने के लिए सार्वजनिक संकल्प लिए जाने चाहिए।
- बच्चों की सभी तरह की भर्ती (स्वैच्छिक, जबरदस्ती, औपचारिक या अनौपचारिक) और युद्ध में सभी तरह से बच्चों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से सभी स्तरों पर सदस्यों को स्पष्ट सैन्य आदेश पुनः जारी किए जाने चाहिए। व्यापक रूप से आदेश प्रसारित करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
- बच्चों के खिलाफ बलात्कार और अन्य यौन हिंसा के सभी आरोपों की जांच की जानी चाहिए। बच्चों के खिलाफ बलात्कार या अन्य यौन हिंसा करने वाले संदिग्ध सदस्यों को यथोचित उनके पदों से हटाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।
- स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संरक्षित स्थानों पर हमले समाप्त करने चाहिए।

<u>झारखंड राज्य सरकार के लिए:</u>

- किसी भी स्कूल नहीं जाने वाले और भर्ती करने के लिए अपहरण और तस्करी की संभावना वाले छात्र की जल्दी से पहचान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शुरू करना सुनिश्चित करके शिक्षा के अधिकार का अधिनियम लागू करें। सशस्त्र समूहों द्वारा उनके अपहरण और जबरन भर्ती को रोकने के लिए बच्चों के लापता होने की शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया करें।
- सुनिश्चित करें कि माओवादी या उनसे अलग हुए दलों के साथ जुड़े बच्चों को निरस्त्र कर दिया गया है, छुड़ा लिया गया है और उनके समुदायों में एकीकृत कर दिया गया है। लड़कियों की पहचान करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें मुक्त कराकर और पुनः एकीकृत प्रयासों के माध्यम से उनकी जरूरतें पूरी की जा रही हैं।

- ऐसे कमांडरों और माओवादी के सदस्यों और अन्य अलग हुए दलों के खिलाफ जिनपर बच्चों के विरूद्ध गंभीर मानवाधिकार हनन, यौन शोषण या बलात्कार आदि का संदेह है उनकी जांच करके ऐसा मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर निष्पक्ष सुनवाई के अनुरूप हों। सुनिश्चित करें कि यौन शोषण या बलात्कार पीड़ित बच्चों को उचित परामर्श और चिकित्सा देखभाल उपलब्ध हो।
- सुनिश्चित करें कि स्कूल हमलों से सुरक्षित रहें और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के लिए खुले और सुलभ रहते हैं। सुनिश्चित करें कि स्कूल में योग्य शिक्षक और अन्य कर्मी कार्यरत हैं।

कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

यह रिपोर्ट भारत के झारखंड राज्य में वामपंथी सशस्त्र समूहों, सीपीआई (माओवादी) और पीएलएफआई (PLFI) द्वारा युद्धस्थिति/मुठभेड़ में बच्चों की भर्ती और उपयोग के साक्ष्यों का तथा बच्चों पर सशस्त्र हिंसा के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने का परीक्षण करती है यह राज्य की समस्या पर की गई प्रतिक्रिया का भी परीक्षण करती है। वामपंथी सशस्त्र समूहों के खिलाफ सशस्त्र हिंसा के संदर्भ में राज्य के सुरक्षा बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय हैं, लेकिन इस मुद्दे पर व्यापक शोध को रिपोर्ट के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया था। यह रिपोर्ट चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) द्वारा अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच झारखंड में किए गए क्षेत्र में शोध को दर्शाती है और इसमें सीपीआई (माओवादी) और पीएलएफआई (PLFI) के वर्तमान और पूर्व सदस्यों; स्थानीय प्रशासकों सहित स्थानीय समुदायों के सदस्यों; पुलिस अधिकारियों; गांव के नेताओं; वामपंथी सशस्त्र समूहों के साथ जुड़े बच्चों के माता पिता; पत्रकारों और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और कई माध्यमिक स्रोतों के साथ किये गये साक्षात्कार भी शामिल हैं।

चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने सीपीआई (माओवादी) के 15 सदस्यों, पीएलएफआई (PLFI) के पांच सदस्यों, इसके प्रमुख दिनेश गोप और सीपीआई (माओवादी) के पांच पूर्व बाल सैनिकों सहित 100 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया। शोध पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहारदागा, गुमला, लातेहार, पलामू, छतरा और हजारीबाग जिलों में आयोजित किया गया। चार जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (सबसे वरिष्ठ जिला स्तरीय प्रशासनिक पद), 10 जिलों के पुलिस अधीक्षकों और झारखंड पुलिस के पूर्व और वर्तमान महानिदेशक सहित झारखंड राज्य सरकार के पंद्रह अधिकारियों का साक्षात्कार किया गया। इस रिपोर्ट के लिए फील्ड अनुसंधान विजय मूर्ति द्वारा आयोजित किया गया।

साक्षात्कार हिन्दी में, ज्यादातर व्यक्तिगत रूप में आयोजित किया गया, हालांकि कभी-कभी मध्यस्थों की मौजूदगी में किया गया। सुरक्षा कारणों से, साक्षात्कार के स्थान और कुछ पीड़ितों और गवाहों के नाम के बारे में सटीक जानकारी को गुप्त रखा गया है। जहां स्पष्ट अनुमति प्रदान की गई थी, वहाँ अधिकारियों और सीपीआई (माओवादी) और पीएलएफआई (PLFI) के प्रतिनिधियों का नाम शामिल किया गया है। चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रांची, एस.एन. प्रधान; पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, संपत मीणा; संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास, राजेश सिंह को रिपोर्ट प्रस्तुत की और, शिक्षा सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता, झारखंड सरकार, सुश्री आराधना पटनायक के विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए उनके साथ रिपोर्ट साझा की। इन अधिकारियों द्वारा दी गई अभिलेखित टिप्पणियों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है, लेकिन चाइल्ड सोल्जर्स

इंटरनेशनल द्वारा कोई भी लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं की गई थी। चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क स्थापित करने में असमर्थता के कारण सीपीआई (माओवादी) और पीएलएफआई (PLFI) के प्रतिनिधियों से रिपोर्ट के अंतिम मसौदे को साझा करने और उनकी टिप्पणियों प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

बच्चों के साथ साक्षात्कार माता-पिता या ऐसे व्यस्कों की उपस्थिति में हुआ, जिन पर बच्चों द्वारा भरोसा किया गया था। हमने राज्य सरकार के सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का साक्षात्कार और उपयोग किया है क्योंकि केंद्र सरकार से इन्कार के बावजूद रिकॉर्ड को कुछ भारतीय अधिकारियों द्वारा बच्चों की भर्ती और उपयोग किए जाने की समस्या की अभिस्वीकृति प्रलेखित करना महत्वपूर्ण था। झारखंड राज्य में स्थानीय अधिकारियों से बात करते समय, हमने पाया है कि वे न केवल घटनाओं और समस्या के पैमाने को स्वीकार करते हैं बल्कि राज्य की प्रतिक्रियाओं को मजबूत बनाने की जरूरत की ओर भी संकेत करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बच्चे की परिभाषा 18 वर्ष से कम की आयु का कोई भी व्यक्ति है। इस परिभाषा को बाल अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन (सीआरसी)(CRC), 1989, धारा 1 और बाल अधिकार एवं कल्याण संबंधी अफ्रीकी चार्टर, 1999, धारा 2 और बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 1999 (संख्या 182), धारा 2 में पाया जाता है।[5] यह भारत के किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 और इसके पूर्ववर्ती किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000, जो यह बताता है कि बच्चा वह व्यक्ति है, जो 18 वर्ष की आयु पूरा नहीं करता है, साथ ही भारत की राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के साथ भी संगत है।

चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ), बाल सैनिक शब्द का उपयोग उन बच्चों के सन्दर्भ में करते हैं , " जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं और जिन्हें किसी भी क्षमता में सशस्त्र बल या सशस्त्र समूह द्वारा भर्ती किया गया है या इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें निम्न शामिल हैं लेकिन इसी तक सीमित नहीं हैं, बच्चे, लड़के और लड़कियों, सेनानियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले, रसोइए, कुलियों, संदेशवाहकों, जासूसों के रूप में या यौन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह केवल उन बच्चों को ही संदर्भित नहीं करता है, जो भिडन्त/मुठभेड़ में हिस्सा ले रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप से उन्हें रखा जाता है।" यह बच्चों पर पेरिस सिद्धांतों और सशस्त्र बलों या सशस्त्र समूहों से संबद्ध के दिशानिर्देश (पेरिस सिद्धांतों) में निहित "एक सशस्त्र बल या सशस्त्र समूह के साथ जुड़े बच्चे "की परिभाषा के संगत है।[6]

इस रिपोर्ट में, चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने अनुसंधान समय सीमा के भीतर झारखंड में तैनात कुछ या सभी सुरक्षा बलों का उल्लेख करने के लिए वाक्यांश "सुरक्षा बलों" का उपयोग किया है। इन बलों में जिला सशस्त्र पुलिस, झारखंड सशस्त्र पुलिस, झारखंड जगुआर, इंडिया रिजर्व बटालियन, दृढ़ कार्रवाई के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल के भीतर एक विशेष बल है, शामिल हैं। बाद के दो को गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी सशस्त्र समूहों से निपटने के लिए राज्य पुलिस के साथ संयुक्त अभियान शुरू करने के लिए झारखंड में तैनात किये गये हैं।

---

[5] बाल अधिकारों से संबंधित समिति, 66 वां सत्र, पलायस विल्सन, जिनेवा, 3 जून 2014 को भारत सरकार ने प्रतिक्रियाएँ दी हैं

[6] पेरिस सिद्धांतों को 2007 में अपनाया गया था। देखें http://www.unicef.org/protection/57929_58012.html

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति, सीआरसी (CRC) के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ काम करने वाले निकाय ने लगातार दृढ़ता से माना है कि सशस्त्र संघर्ष में शामिल बच्चों पर सीआरसी (CRC) के लिए वैकल्पिक प्रोटोकॉल (ओपीएसी)(OPAC), भारत द्वारा 2005 में पुष्टि की गई एक मानवाधिकार संधि है,[7] इसलिए जिसके प्रावधान संघर्ष और गैर-संघर्ष दोनों स्थितियों में लागू होते हैं।[8] ओपीएसी (OPAC) के प्रावधान सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी को रोकने के लिए राज्य के दलों पर एक चालू दायित्व रखते हैं।

---

[7] उदाहरण के लिए, *टिप्पणियों का समापन देखें*: *मोरक्को*, पैरा 3, संयुक्त राष्ट्र- दस्ता. UN Doc. सीआरसी/सी/15/ अतिरिक्त.211, 10 जुलाई 2003 (ओपीएसी (OPAC) के अनुसमर्थन सहित "मानवाधिकारों के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति" का स्वागत करते हैं); *टिप्पणियों का समापन*: *पनामा*, पैरा। 4, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/15/ अतिरिक्त.233, 30 जून 2004 (ओपीएसी (OPAC) सहित "कई मानवाधिकारों से संबंधित उपकरणों" के अनुसमर्थन का स्वागत करते हैं); *टिप्पणियों का समापन*: *बेलीज (Belize)*, पैरा। 5, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/15/अतिरिक्त.252, 31 मार्च 2005 ("वैकल्पिक प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों" के अनुसमर्थन का स्वागत करते हैं); *टिप्पणियों का समापन*: *इक्वाडोर (Ecuador)*, पैरा। 7, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/15/अतिरिक्त 262, 13 सितंबर 2005 (ओपीएसी (OPAC) सहित कई "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों" के अनुसमर्थन का स्वागत करते हैं); *टिप्पणियों का समापन*: *युगांडा (Uganda)*, पैरा। 6, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/यूजीए/सीओ/2, 23 नवंबर 2005) (ओपीएसी (OPAC) सहित कई "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों" के अनुसमर्थन का स्वागत करते हैं); *टिप्पणियों का समापन*: *लिथुआनिया (Lithuania)*, पैरा। 5, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/एलटीयू/सीओ/2, 17 (मार्च 2006 (ओपीएसी (OPAC) सहित कई 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों" के अनुसमर्थन का स्वागत करते हैं); *टिप्पणियों का समापन*: *बेनिन (Benin)*, पैरा। 6, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/बीईएन/सीओ/2, 20 अक्टूबर 2006) (ओपीएसी (OPAC) सहित कई 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों" के अनुसमर्थन का स्वागत करते हैं); *टिप्पणियों का समापन*: *सेनेगल (Senega)*, पैरा।. 4, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/एसईएन/सीओ/2, 20 अक्टूबर 2006) (ओपीएसी (OPAC) सहित कई 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों" के अनुसमर्थन पर ध्यान देते हैं); *टिप्पणियों का समापन*: *कोस्टा रिका (Costa Rica)*, पैरा। 6, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/ओपीएसी/सीआरआई/सीओ/1, 1 मई 2007 (वैकल्पिक प्रोटोकॉल सहित "मानवाधिकार संधियों, जिनमें कोस्टा रिका (Costa Rica) एक पार्टी है, का उल्लेख करते हैं "); *टिप्पणियों का समापन*: *माली (Mali)*, पैरा। 4, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/एमएलआई/सीओ/2, 3 मई 2007) (ओपीएसी (OPAC) सहित कई 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों" के अनुसमर्थन का स्वागत करते हैं); *टिप्पणियों का समापन*: *इरिट्रिया (Eritrea)*, पैरा। 4, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/ईआरआई/सीओ/3, 23 जून 2008 (ओपीएसी (OPAC) सहित कई 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों" के परिग्रहण का स्वागत करना); *टिप्पणियों का समापन*: *जॉर्जिया (Georgia)*, पैरा। 78, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/जीईओ/सीओ/3, 23 जून 2008) (उपशीर्षक के तहत "अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों के [अ]नुसमर्थन पर ध्यान देना," राज्य ने अभी तक ओपीएसी (OPAC) को अनुसमर्थन नहीं दिया है); *टिप्पणियों का समापन*: *जिबूती (Djibouti)*, पैरा 78, संयुक्त राष्ट्र दस्ता.(UN Doc.) सीआरसी/सी/डीजेआई/सीओ/2, 7 अक्टूबर 2008) (उपशीर्षक के तहत "अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों के [अ]नुसमर्थन का स्वागत करना," राज्य ओपीएसी (OPAC) पर हस्ताक्षर कर रहा है)। यह भी *देखेंसामान्य टिप्पणी संख्या* 2, 8, 19 (ई), संयुक्त राष्ट्र दस्ता. (UN Doc.) सीआरसी/जीसी/2002/2, 15 नवंबर 2002) (ओपीएसी (OPAC) "और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों" की चर्चा करना); *सामान्य टिप्पणी सं.* 5, संयुक्त राष्ट्र दस्ता. (UN Doc.) सीआरसी/जीसी/2003/5, 27 नवंबर 2003 (राज्यों से ओपीएसी (OPAC) और "अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उपकरणों" का अनुसमर्थन करने के लिए आग्रह करना")।

[8] उदाहरण के लिए देखें: *टिप्पणियों का समापन: क्रोएशिया (Croatia)*, पैरा। 6, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/ओपीएसी/एचआरवी/सीओ/1; *टिप्पणियों का समापन*: *चेक गणराज्य (Czech Republic)*, पैरा। 7, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/ओपीएसी/सीज़ेडई/सीओ/1; *टिप्पणियों का समापन*: *चिली (Chile)*, पैरा। 14, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) सीआरसी/सी/ओपीएसी/सीएचएल/सीओ/1।

इसके लिए आपराधिक कानून का अधिनियमन, घरेलू कानूनों में सुधार, प्रभावी निगरानी प्रक्रियाएं, जांच और उल्लंघन के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्थापना, साथ ही मूल कारणों की समझ और इससे निपटने के लिए लागू होने वाले विधायी और अन्य कई उपायों की आवश्यकता है। इसके अनुसार राज्य दलों को किसी भी समय सशस्त्र बलों और समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, चाहे वह सशस्त्र संघर्ष हो या नहीं। इसके अलावा, ओपीएसी (OPAC) की धारा 4 के तहत (1) गैर-राज्य सशस्त्र समूहों द्वारा 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की भर्ती या उनका युद्ध में उपयोग "किसी भी परिस्थिति में" निषिद्ध है। चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल की दृष्टि में, ओपीएसी (OPAC) की धारा 4 (1) सशस्त्र समूहों के कार्यरत देशों में लागू है, जो संधि के पक्ष में हैं।

1. झारखंड में सशस्त्र हिंसा और बच्चों की भागीदारी का संदर्भ

भारत में माओवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल राज्य के नक्सलबाड़ी (इसलिए, आंदोलन के समर्थकों को कभी-कभी नक्सल या नक्सली कहा जाता है) क्षेत्र में एक किसान विद्रोह के साथ शुरू हुई थी। पश्चिम बंगाल में आंदोलन काफी हद तक संदिग्ध नक्सलियों की एक बड़ी संख्या पर सुरक्षा बलों की कारवाई और गिरफ्तारी तथा हत्या के बाद 1970 के दशक में इसे दबा दिया गया था। हालांकिए आंदोलन पहले से ही भारत के कुछ राज्यों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था जहां माओवादी विचारधारा पर आधारित किसान क्रांति को संबोधित करने के कई विभिन्न सशस्त्र समूहों को भ्रष्टाचार और ऊंची जातियों और राज्यों द्वारा *दलितों* और *आदिवासियों* के सामाजिक और आर्थिक शोषणके विरूद्ध संबोधित करने के

बहिष्कृत और अपमानित

बबलू यादव, झारखंड में पलामू जिले से अब एक ग्राम प्रधान ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) को 10 जुलाई 2015 के साक्षात्कार में बताया कि उसका एक बहुत ही गरीब, निम्न जाति के परिवार में जन्म हुआ था और उसे स्कूल सहित हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता था, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला लिया और नौ वर्ष की उम्र में (सीपीआई माओवादी) समूह में शामिल हो गयाः *"हमारे गांव में, एक सरकारी स्कूल है, जो पूरी तरह से उच्च जाति के परिवारों के कब्जे में था। जहाँ ऊंची जाति के बच्चों के लिए मेज और बैंच थी, वहीं निम्न जाति के बच्चों को फर्श पर कक्षा के प्रवेश द्वार पर बैठना पड़ता था। हमसे अछूत के रूप में व्यवहार किया जाता था। स्कूल के प्रधानाध्यापक हमसे सभी तरह के नौकरों वाले काम करवाते थे। लगभग 15 साल पहले, एक दिन नक्सलियों के एक समूह ने हमारे गांव पर छापा मारा और दो ऊपरी जाति के आततायियों को मार डाला। इससे मैं प्रभावित हुआ। मैंने उनका जंगल तक पीछा किया। मैं उनके स्कूल जाने लगा और हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया।"*

यादव को बाद में गिरफ्तार किया गया और कारावास की सजा सुनाई गई। रिहाई पर छूटने के बाद उसने सामुदायिक विकास का काम हाथ में लिया।

लिये बुलाया गया।[9] वामपंथी सशस्त्र समूहों को *आदिवासी* समुदायों से महत्वपूर्ण समर्थन मिला, जो दशकों से राज्य के भ्रष्टाचार और विकास में पिछड़ जाने की शिकायत करते रहे हैं, जबकि राज्य और निजी कंपनियों के द्वारा उनके आसपास की भूमि से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता रहा है, जो अक्सर इन संगठित विरोध प्रदर्शनों को कुचलते रहे हैं।

सन् 2000 में मध्य प्रदेश और बिहार राज्यो के क्षेत्रों से क्रमश: छत्तीसगढ़ और झारखंड के राज्यों के गठन के बावजूद (*आदिवासी* समूहों के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए), और गरीबों के जीवन में सुधार करने के लिए विकास के वायदे करना जारी रहा, लेकिन शिकायतें जारी रहीं।

सीपीआई (माओवादी) और इसकी प्राथमिक सशस्त्र शाखा, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए), दो और बड़े माओवादी समूहों के विलय के साथ: भारतीय माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) (MCC) और पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी)(PWG), के 2004 में गठन के साथ राज्य और सशस्त्र समूहों के बीच हिंसा की घटनाओं में और अधिक वृद्धि हुई। *दि हिन्दू* द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार,1980 के बाद से भारत में इस संघर्ष से 12,000 से अधिक नागरिकों सहित 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है।[10] सरकार का दावा है कि हाल के वर्षों में हिंसा में कमी आई है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वामपंथी सशस्त्र हिंसा से होने वाली मौतों में 2010 में 1,005 , 2014 में 309 और 2015 में 167 (15 सितंबर 2015 तक) मौतें हुई है।[11]

वामपंथी सशस्त्र समूह दंडकारण्य के जंगलों में कार्यरत हैं, जिसका विस्तार मध्य भारत में कई आसपास के राज्यों की सीमाओं तक है। सशस्त्र इकाइयाँ जंगल मार्गों से दूसरे राज्यों में जाती हैं, जो कि विकास के मानकों में सबसे निचले पायदान पर हैं। कुछ विश्लेषक इस रास्ते को रेड कॉरिडोर मानते हैं।[12]

सिलसिलेवार सरकारों ने वामपंथी सशस्त्र समूहों से बातचीत के द्वारासमस्या सुलझाने के बारे में बात की है, परन्तु ऐसा करने के लिए गंभीर रूप से कम ही प्रयास किये गये हैं। इसके बजाय, सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)(CAPF) से संबंधित राज्य पुलिस बलों को व्यापक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए, संदिग्ध कार्यकर्ताओं की हत्या करने और पकड़ने के लिए तैनात किया है। हिंसा के बीच, मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बल अतिरिक्त न्यायिक सज़ाएँ, अत्याचार और अवैध

---

[9] भारत का संविधान कुछ जाति और जनजातियों को विशेष सुरक्षा और सकारात्मक कार्रवाई हेतु कोटा की पात्रता से संरक्षित श्रेणियों के रूप में नामित करता है। जिन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है, समुदाय अधिकार समूह उन्हें दलित और आदिवासी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है, http://idsn.org/wp-content/uploads/user_folder/pdf/New_files/India/2013/INDIA_CENSUS_ABSTRACT-2011-Data_on_SC-STs.pdf.

[10] जतिन आनंद और माहिम प्रताप सिंह, "नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी नागरिक दुर्घटना, " दि हिंदू, 19 अप्रैल 2015 http://www.thehindu.com/news/national/article7117827.ece. लेख गृह मंत्रालय द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत, दिल्ली निवासी सूचना कार्यकर्ता वेद पाल को उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है।

[11] गृह मंत्रालय का वामपंथी उग्रवाद प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद से हिंसा (2010 से 2015) की सांख्यिकी), 15 सितम्बर 2015, http://www.mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/LWEViolanceStatisticsOct2015.pdf

[12] ज्योति प्रसाद मुखोपाध्याय और नीलांजन बानिक, 'भारत में रेड कॉरिडोर क्षेत्र: डेटा हमें क्या बताते हैं?,वित्तीय प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, सितंबर 2014, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/58616/1/MPRA_paper_58616.pdf

और मनमाने ढंग से हिरासत में रखने सहित कई मानवाधिकार उल्लंघन के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही स्कूलों पर कब्जे करके शिक्षा में बाधा पहुँचाते हैं और स्थानीय आबादी का सामान्य उत्पीड़न करते हैं।[13]

झारखंड

हालांकि हाल के वर्षों में संघर्ष कम हो गया है, झारखंड के बड़े हिस्से सशस्त्र हिंसा से अभी भी प्रभावित हो रहे हैं।[14] अन्य राज्यों में जहां सीपीआई (माओवादी) प्रमुख सशस्त्र समूह है, इसके अलावा एक दर्जन से अधिक अन्य सशस्त्र समूह भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सीपीआई (माओवादी) के विरोध में संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे झारखंड में सुरक्षा की स्थिति ज्यादा जटिल हो गई है।[15] इन समूहों में खूंटी जिला में प्रमुख रूप से मौजूद पीएलएफआई (PLFI); झारखंड जन मुक्ति परिषद (जेजेएमपी)(JJMP), स्वतंत्र झारखंड प्रस्तुति समिति, सशस्त्र पीपुल्स मोर्चा, संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा; तृतीया प्रस्तुति समिति-I और तृतीया प्रस्तुति समिति-II (TPC-I, TPC-II); क्रांति किसान समिति और महिला मुक्ति मोर्चा और झंगुआर समूह शामिल हैं। इन समूहों में से कुछ बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भी सक्रिय हैं।

इन समूहों में से कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, कथित तौर पर सरकार से वित्त पोषित विकास परियोजनाओं (भारत सरकार ने हाल के वर्षों में सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए झारखंड के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित किया है), निजी उद्योग और ठेकेदारों से संरक्षण के बदले में धन उगाही करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सीपीआई (माओवादी) से विपरीत, इन समूहों पर कुछ स्थानीय और राज्य के नेताओं के साथ जटिल संबंध होने का आरोप लगाया जाता है। यह भी आरोप है कि झारखंड में कुछ सशस्त्र समूह सीपीआई (माओवादी) के विरोध में उनके प्रभाव को कम करने में सुरक्षा बलों का अनौपचारिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, इसके साथ ही सुरक्षा बल के बच्चों के खिलाफ सहित अपने स्वयं के हनन को बर्दाश्त करते हैं।[16] सुरक्षा बल इन

---

[13] उदाहरण के लिए देखें: गणतांत्रिक अधिकार संगठनों का समन्वय, आतंक की छाया में जीवन, लोगों के जीवन और झारखंड में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, 2013, http://www.pudr.org/sites/default/files/pdfs/Jharkhand%20report%20for%20web%20site.pdf; मानवाधिकार और कानून पर राज्य स्तरीय परामर्श, रांची, रिपोर्ट 2012, http://www.hrln.org/hrln/defend-the-defenders/993-state-level-consultation-on-human-rights-and-law-ranchi.html#ixzz3xDlnJmi5; ह्यूमन राइट्स वॉच, सिविल सोसायटी कार्यकर्ता पर हमले "Between two sets of guns" भारत का माओवादी संघर्ष, जुलाई 2012, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/india0712ForUpload.pdf;

[14] गृह मंत्रालय के अनुसार, झारखंड के 24 में से 17 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, 4 मार्च 2015, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116427

[15] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का एस.एन. प्रधान, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रांची के साथ साक्षात्कार, 2 फ़रवरी 2016। ग्लैडसन डुंगुंग (Gladson Dungung), *मिशन सारंदा भी देखें: देश में प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक युद्ध लड़ा जा रहा है*, देशज प्रकाशन, अगस्त 2015।

[16] 15 मई 2015 को चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) के साथ एक साक्षात्कार में, सजल चक्रवर्ती, झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव ने दावा किया कि रामदेव उरांव, झंगूर समूह के नेता, विष्णुपुर पुलिस स्टेशन से हैं, जो क्षेत्र में सीपीआई (माओवादी) के प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए पुलिस की सहायता करते हैं और इस नीति का विरोध करने वाले किसी भी पुलिस का तबादला कर दिया जाता है। 13 अप्रैल 2015 को चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ के साथ एक साक्षात्कार में सीपीआई (माओवादी) के कमांडर सिलवेस्टर मिंज ने प्रेस विज्ञप्ति दिखाकर दावा किया है

आरोपों से इन्कार करते हैं।[17] हालांकि, समाचार पत्रों ने के वरिष्ठ सीआरपीएफ कमांडरों और जेजेएमपी (JJMP) तथा झंगूआर समूह के नेताओं के बीच टेलीफोन की बातचीत का पता लगाया है और जिसमें सुझाव दिया गया है कि वे कभी कभी-सीपीआई (माओवादी) के खिलाफ संयुक्त अभियान का संचालन करते हैं, जो कि संघर्ष के जटिल और बहुआयामी प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं।

पीएलएफआई (PLFI), झारखंड में सक्रिय दूसरा सबसे प्रमुख सशस्त्र समूह, एक पूर्व भारतीय सेना के सिपाही दिनेश गोप के नेतृत्व में है[18] और ये समूहभारी मात्रा में ठेकेदारों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों से जबरन वसूली में शामिल है।[19] पीएलएफआई (PLFI), अपने मूल समूह झारखंड लिबरेशन टाइगर्स (JLT), जिसे 2003 में एमसीसी से समाप्त कर दिया गया था, से अलग होकर बना है ।[20] गोप ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) से बताया कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को यौन शोषण करते देख सेना छोड़ने का फैसला किया: "मैंने एक समानांतर फोर्स बनाने और ग्रामीण इलाकों में गरीब और हाशिए पर रह रही लाखों आबादी के लिए न्याय के लिए लड़ने के एक संकल्प के साथ 2003 में सेना छोड़ दी।"[21]

सीपीआई (माओवादी) या अन्य वामपंथी सशस्त्र समूहों के वर्चस्व वाले झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्य के अधिकारियों की उपस्थिति बहुत कम है। वास्तविक सबूत से पता चलता है कि ग्राम परिषद के जो अधिकारी स्थानीय स्तर पर राज्य की नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे कई वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा हमले के जोखिम के कारण शहरी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। शिक्षक और डाक्टर अपनी जीवन के खतरे के कारण शायद ही कभी काम पर दिखाई देते हैं।[22] वामपंथी सशस्त्र समूहों ने हथियारों को लूटने और रेलवे, संचार प्रणालियों और स्कूलों जैसे राज्य के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए पुलिस थानों पर हमला किया है।[23] वे

कि जेजेएमपी, सीपीआई (माओवादी) को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के साथ काम कर रहा था। 25 जुलाई 2015 को गुमला जिले के चैनपुर थाने के अंतर्गत दिपाटोली गांव में मिंज पुलिस बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

[17] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ), एडीजी, एस.एन. प्रधान के साथ एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा, "वर्तमान में झारखंड पुलिस में कोई भी अलग हुए समूहों को नियंत्रित नहीं करता है", रांची, 2 फ़रवरी 2016।

[18] दीपक कुमार नायक, "नक्सली हिंसा: झारखंड में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) (PLFI)",शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान, 29 मार्च 2013, http://www.ipcs.org/article/india/naxal-violence-the-peoples-liberation-front-of-india-plfi-in-3861.html

[19] शिनोर मजूमदार, "माओवाद के नाम पर हफ्ता वसूली"तहलका, 10 दिसंबर 2013, http://www.tehelka.com/2013/10/extortion-in-the-name-of-maoism/, यह भी देखें - फकीर मोहन प्रधान, "Jharkhand: The Mask of Ideology", साउथ एशिया आतंकवाद पोर्टल, 2012, http://www.satp.org/satporgtp/sair/Archives/sair11/11_15.htm

[20] उदय चंद्रा, "Beyond Subalternity: land, community and the state in contemporary Jharkhand", परंपरागत साउथ एशिया, 21:1, 52:61, 18 फरवरी 2013, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09584935.2012.757579#.VqVWZjap6qA

[21] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और 11 मई, 2015 दिनेश गोप, झारखंड-ओडिशा की सीमा के साथ हक़ (HAQ) का साक्षात्कार।

[22] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने एक स्कूल शिक्षक के साथ साक्षात्कार किया, जो अपने परिवार पर हमले होने पर गुमला से रांची चला गया, 15 जून 2015। उदाहरण के लिए देखें, BBC,क्या भारत के माओवाद विद्रोही युद्ध जीत गये हैं?, 28 मई 2010 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/8710747.stm

[23] उदाहरण के लिए देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया, माओवादियों ने झारखंड स्कूल इमारत में विस्फोट कर दिया, 11 अक्टूबर 2015, http://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/Maoists-blow-up-Jharkhand-school-building/articleshow/49313391.cms; डीएनए

निष्पक्ष सुनवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करने वाली अनौपचारिक 'पीपुल्स' अदालतों में सुनवाई के बाद आरोपित पुलिस मुखबिरों की लक्षित हत्या भी की जाती है और नेताओं की हत्या स्वीकारते हैं।[24] सरकारी अनुमान में 2010 से सितंबर 2015 तक झारखंड में मारे गए नागरिकों की कुल संख्या लगभग 800 है।[25]

नागरिक सभी पक्षों से खतरे में हैं। ग्रामीणों के पास वामपंथी सशस्त्र समूहों को समर्थन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता, या तो उनके खेमों में जबरन भर्तियों के लिये प्रस्तुत करना या कम से कम उन्हें भोजन, आवास, अनाधिकृत कर और सुरक्षा बलों की तैनातियों की सूचनाएं देना जो उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के खतरे में डालता है जो उन्हें वामपंथी सशस्त्र समूहों के समर्थक मान सकते हैं। मानवाधिकार समूहों ने सुरक्षा बलों और वामपंथी सशस्त्र समूहों दोनों द्वारा यातना और न्यायेतर सजाओं के मामलों को प्रलेखित किया है।[26]

सुरक्षा बलों और वामपंथी सशस्त्र समूहों के बीच में, दोनों पक्षों से गंभीर मानवाधिकार हनन की चपेट में फंसे 16 और 35 वर्ष के बीच आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस डर से अपने गांवों से बाहर पलायन कर रहे हैं कि कहीं वह लड़ाई में जबरन घसीटे न जाएं और आर्थिक अवसरों का अभाव भी पलायन का एक और बड़ा कारण है।[27] वामपंथी सशस्त्र समूह आम तौर पर 40 से अधिक आयु वाले पुरुषों और महिलाओं को लड़ने के लिए अयोग्य मानते हैं और इसलिए कथित तौर पर वे तेजी से भर्ती के लिए बचे गांवों में रहने वाले बच्चों की ओर रूख करते हैं। लातेहार जिले के एक पुलिस अधीक्षक ने हमें बताया कि वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा भर्ती किए जाने से अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए; माता-पिता अपने बच्चों को दूर बिहार और गुजरात के ईंट भट्टों में और खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने के लिए भेज रहे हैं, उनका कहना है कि लातेहार के गांवों में अधिकांश अब काफी हद तक सिर्फ बुजुर्ग लोग ही रह गए हैं।[28] इसके बावजूद, बच्चे खेमे में रहते हैं। 8 जून 2015 को, झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षा बलों के साथ एक सशस्त्र संघर्ष में मारे गए लोगों में सीपीआई (एम)

हम रात को चैन से सो नहीं पाते हैं।

रात में कुत्तों के भौंकने पर हम यह मान लेते हैं कि गांव में किसी को मारा जा रहा है।

खूंटी जिले के ग्रामवासियों का चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) द्वारा साक्षात्कार किया गया।

भारत, माओवादी बलों ने भारत में हमला किया, सरकारी इमारतों को विस्फोट से नष्ट कर दिया, 10 जुलाई 2015, http://www.dnaindia.com/india/report-maoist-forces-strike-in-jharkhand-blow-up-govt-buildings-2103321

[24] उदाहरण के लिए देखें, डेक्कन क्रॉनिकल / प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, *नक्सलियों ने कहा कि हमले का उद्देश्य 'दंड' देना है नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा,* 28 मई 2013, http://archives.deccanchronicle.com/130528/news-current-affairs/article/naxals-say-attack-aimed-punishing-nand-kumar-patel-mahendra

[25] वामपंथी हिंसा की राज्यवार सीमा, गृह मंत्रालय, http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/LWEViolanceStatisticsOct2015.pdf

[26] ह्यूमन राइट्स वॉच, ऑप. सा. op.cit. http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/india0712ForUpload.pdf

[27] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने खूंटी, गुमला और लोहारदागा जिलों में अप्रैल-जून 2015 में ग्रामीणों और पत्रकारों का साक्षात्कार किया।

[28] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने पुलिस अधिकारी माइकल राज, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड 5 मई 2015 का साक्षात्कार किया।

के 12 सदस्यों में कथित तौर पर तीन बच्चे शामिल थे।[29] पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) सहित मानवाधिकार समूहों ने सरकार को एक रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि मारे गए लोगों को निरस्त्र कर दिया गया था और बाद में गैर न्यायिक तरीके से मार डाला गया था।[30]

गैर-राज्य सशस्त्र समूहों द्वारा बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग पर रोक लगाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक मानक

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और मुठभेड़ में उपयोग करने पर विभिन्न प्रावधान अस्तित्व में हैं, एक उभरती प्रवृत्ति के साथ यह भी मान्यता है कि किसी भी रूप में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सैन्य भर्ती या सशस्त्र समूहों द्वारा मुठभेड़ के दौरान उनका उपयोग करना कानूनी निषेध है।[31] ओपीएसी (OPAC) को 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया और 2002 में सेना में लागू कर दिया गया।[32] प्रोटोकॉल स्पष्ट रूप से गैर-राज्य सशस्त्र समूहों के संचालन को संबोधित करते हैं। धारा 4 में कहा गया है कि "वे सशस्त्र समूह, जो किसी राज्य के सशस्त्र बलों से अलग हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में अठारह साल से कम आयु के व्यक्तियों को भर्ती या शत्रुता में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।" इसके अलावा, धारा 4(2) राज्य के दलों को ऐसी भर्ती और उपयोग का निषेध करने और इस तरह के व्यवहार का अपराधीकरण करने के लिए कानूनी उपायों सहित रोकने के सभी संभव कदम उठाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, राज्य के अधिकारियों को राज्य के क्षेत्र के भीतर कार्यरत सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और उपयोग रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल की दृष्टि में, ओपीएसी (OPAC) की धारा 4 (1) सशस्त्र समूहों के कार्यरत देशों, जैसे भारत में लागू है, जो संधि की पार्टी है।

प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के नियम (आईएचएल) (IHL) गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में लागू गैर-राज्य सशस्त्र समूहों को सशस्त्र संघर्ष में 15 साल से कमआयु के बच्चों की भर्ती या उपयोग का निषेध करते हैं। प्रथागत आईएचएल (IHL) के अनुसार, प्रथागत आईएचएल (IHL) पर 2005 में आईसीआरसी (ICRC) अध्ययन में नियमों की पहचान की गई, "बच्चों को सशस्त्र बलों या सशस्त्र समूहों

---

[29] विशाल शर्मा, "झारखंड में 12 माओवादियों में से बाल सैनिक मार डाले गये", *दि हिंदुस्तान टाईम्स*, 9 जून 2015, http://www.hindustantimes.com/india/child-soldiers-among-12-maoists-killed-in-jharkhand/story-KIpVp0MqF3NgLbvSJ0kmkL.html

[30] झारखंड: सतबरवा (भेलवाही) (Satbarva (Bhelvahi)) मुठभेड़ में तथ्य खोजने की रिपोर्ट 11 अक्टूबर 2015, http://sanhati.com/articles/15033/#sthash.amOmN0mu.dpuf

[31] 1949 की जेनेवा कन्वेंशनों के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल I धारा 77 (2) (1977); अतिरिक्त प्रोटोकॉल I धारा 4 (3)(सी) (1977); सीआरसी (CRC), धारा 38 और वैकल्पिक प्रोटोकॉल, धारा 38 और ओपीएसी (OPAC) धारा 4 (1); आईसीसी संविधि, कला। 8 (2)(बी)(xxvi) अतिरिक्त 8(2)€(vii). यह भी ध्यान रखें कि धारा 3 (ए) में बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर आईएलओ (ILO) 182 इस पर संदर्भित करता है कि 'बच्चों की जबरदस्ती या अनिवार्य भर्ती, बाल श्रम के सबसे खराब रूपों में से एक है, जिसे तात्कालिकता से समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, आईएलओ (ILO) 182 की धारा 7(1) को सशस्त्र संघर्ष में उपयोग के लिए 18 से कम आयु के व्यक्तियों की जबरदस्ती या अनिवार्य भर्ती के लिए दंडात्मक प्रतिबंधों की आवश्यकता है।

[32] ओपीएसी OPAC, 25 मई 2000 को अपनाया गया, जी.ए. रि. 54/263, अनुलग्नक, 54 संयुक्त राष्ट्र (U.N.) जीएओआर स./ (GAOR Supp.) संयुक्त राष्ट्र (U.N.) पर (नं 49) 7 दस्तावेज़ (Doc.) ए/54/49, वॉल्यूम III (2000), 12 फरवरी 2002 को प्रभाव में आ गया था। भारत ने 30 नवंबर 2005 को ओपीएसी (OPAC) का अनुसमर्थन किया।

में भर्ती नहीं होना चाहिए" और "बच्चों को युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए"।[33] हालांकि आईसीआरसी (ICRC) अध्ययन में पहचाने गए ये नियम भर्ती या युद्ध में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु निर्दिष्ट नहीं करते, साथ के कमेंटरी नोट, जो हालांकि वहां नहीं दिये गये हैं, अभी तक, भर्ती और युद्ध में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र के संबंध में एक समान अभ्यास है, लेकिन इस बात पर सहमति है कि यह उम्र 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।[34]

ओपीएसी (OPAC) के तहत, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम कानून (आईसीसी) (ICC) और परिचित आईएचएल (IHL), सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती पर निषेध भर्ती के सभी रूपों, स्वैच्छिक या जबरदस्ती को कवर करते हैं। इनमें बच्चों का सशस्त्र मुठभेड़ों में भाग लेने के लिये उपयोग करना या अनुमति देना भी कवर किया गया है, जिनमें सक्रिय मुकाबला, आत्मघाती मिशन, आईईडी और अन्य विस्फोटक की तैयारी और रोपण, चौकियों पर तैनाती, गश्त, सैन्य उद्देश्यों से रखवाली या बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करना, स्काउटिंग, कोरियर के रूप में काम करना, परिवहन आपूर्ति शामिल है, चाहे किसी विशेष मामले में हो या नहीं, ये गतिविधियाँ मुठभेड़/युद्ध में प्रत्यक्ष भागीदारी का गठन लक्षित करने के प्रयोजनों के लिए होती हैं।

इसके अलावा, 15 साल से कम आयु के बच्चों को 1996 के बाद से परिचित अंतर्राष्ट्रीय कानून, सशस्त्र बलों या समूहों में पंद्रह साल से कम आयु के बच्चों को भर्ती करने या उनका उपयोग करके मुठभेड़/युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने को युद्ध सदृश अपराध माना गया है।[35] आईसीसी (ICC) के रोम कानून धारा 8(2)(ई)(vii) में यह संहिताबद्ध है।[36] हालांकि भारत रोम कानून पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, भारत में वामपंथी सशस्त्र समूहों के सदस्यों को जो 15 साल से कम आयु के बच्चों की अवैध भर्ती या उनका उपयोग करते हैं, अभी भी परिचित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराधों के कृत्यों के लिए आपराधिक तौर पर जिम्मेदार हो सकते हैं।[37][38] अंतर्राष्ट्रीय

---

[33] परिचित आईएचएल (IHL) पर 2005 आईसीआरसी (ICRC) अध्ययन में पहचाने गए नियम 136 और 137 देखें, जोwww.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1 rul rule1356 और www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule137

[34] ऊपर उल्लेख किए गए नियमों की कमेंटरी देखें।

[35] सियरा लियोन, अभियोजक वी. हिंगा नॉर्मा (Sierra Leone, Prosecutor v. Hinga Norma) (प्रारंभिक प्रस्ताव पर निर्णय), एससीएसएल (SCSL), मई 2004 के लिए विशेष अदालत देखें।

[36] आईसीसी, संयुक्त राष्ट्र (ICC, U.N.) का रोम कानून दस्तावेज़ (Doc.) A/CONF.183/9, 17 जुलाई 1998, 1 जुलाई को 8(2)(b)(xxvi) और 8(2)(e)(vii) प्रभाव में लाया गया।

[37] मई 2004 में सिएरा लियोन (Sierra Leone) के लिए विशेष न्यायालय की अपील में चैंबर ने फैसला सुनाया कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती पर प्रतिबंध 1996 से पहले परिचित अंतर्राष्ट्रीय कानून को निश्चित रूप दे दिया, सीआरसी (CRC) और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों जैसी व्यापक मान्यता और आदर्श की स्वीकृति का हवाला देते हुए जेनेवा कन्वेंशनों के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल का उल्लेख किया। सिएरा लियोन (Sierra Leone) के लिए विशेष अदालत ने यह भी पाया है कि 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों की भर्ती के लिए जिम्मेदार लोग उनके कृत्य के लिए आपराधिक जिम्मेदारी वहन करते हैं, क्षेत्राधिकार का अभाव (बाल भर्ती) पर प्रारंभिक प्रस्ताव पर निर्णय का सारांश, अभियोजक वी. सैम हिंगा नॉर्मन (Prosecutor v. Sam Hinga Norman) ने सिएरा लियोन (Sierra Leone) के लिए विशेष अदालत के चैंबर में अपील की, 31 मई 2004, केस संख्या SCSL-2003-14-AR72 (ई)।

[38] ओटो ट्रिफरर, एड. (Otto Triffterer,ed.), आईसीसी (ICC) के रोम कानून पर कमेंटरी में माइकल कॉटियर (Michael Cottier) देखें: प्रेक्षक नोट्स, एक-एक धारा (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft:), पी. 261.

कानून के तहत एक युद्ध अपराध होने के अलावा, सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और इस्तेमाल किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अपराध है।[39]

युद्ध में भर्ती से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सीआरसी (CRC) में इस बात पर जोर दिया गया है कि "सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित होने वाले बच्चों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करने की आवश्यकता होती है,और सरकार को शारीरिक और मानसिक रिकवरी और सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित होने वाले पीड़ित बच्चों के सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए "सभी उचित उपाय" अपनाने की आवश्यकता होती है।[40] ओपीएसी (OPAC) की धारा 6(3) राज्य को "यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों की भर्ती या वर्तमान प्रोटोकॉल के विपरीत युद्ध में इस्तेमाल का वियोजन करने या अन्यथा सेवा छोड़ने के सभी संभव उपाय प्रदान करती है और "करेगी, जब भी आवश्यक हो, ऐसे व्यक्तियों को उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रिकवरी और उनके सामाजिक एकीकरण के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगी।"[41]

2 झारखंड में वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और उपयोग

[39] पैरा 83(1) और (2) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम), http://onelawstreet.com/wp-content/uploads/2016/01/The-Juvenile-Justice-Care-and-Protection-of-Children-Act-2015.pdf

[40] सीआरसी (CRC), 20 नवंबर 1989 को अपनाया गया, जी.ए. रि. 44/25, अनुलग्नक, 44 संयुक्त राष्ट्र (U.N.) जीएओआर स./ (GAOR Supp.) संयुक्त राष्ट्र (U.N.) पर (नं 49) 167 दस्तावेज़ (Doc.) ए/44/49 (1989), 2 सितंबर 1990 को लागू किया गया, अनुच्छेद 38, 39। भारत 11 दिसंबर 1992 को सीआरसी (CRC) के लिए एक पार्टी बन गया।

[41] आइबिड (Ibid), अनुच्छेद 6(3)।

गुड्डी (बदला हुआ नाम) अपने एक वरिष्ठ द्वारा उसे पुलिस मुखबिरों से मिले होने का आरोप लगाए जाने पर सीपीआई (माओवादी) कैद से बचकर भाग निकलती है, एक 'अपराध' है जिसके लिये समूह मौत की सजा देता है। 2015 में वह 17 वर्ष पूरे करती है, उसे 2004 में भर्ती किया गया था, जब वह मात्र सात वर्ष की थी:

यह 2004 में सर्दियों की एक दोपहर थी, जब सविता दीदी, हमारे गांव से एक लड़की जो विद्रोहियों में शामिल हो गई थी, जंगल में उसका साथ देने के लिए उसे आमंत्रित किया था। मैं उन बंदूकों के प्रति आकर्षित हो गई थी जिन्हें वह और माओवादी टीम में अन्य महिलाएं ले जा रही थी और इसलिए मैं उनके साथ जाने के लिए सहमत हो गई थी। उस एक निर्णय ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे एक माओवादी गुरिल्ला और बाद में एक एरिया कमांडर बना दिया गया।

मैं संगठन में भाषा, विज्ञान, गणित और माओ विचारधारा पढ़ते हुए पला बढ़ा। जल्दी ही मैं कंप्यूटर सीख गई और प्रेस विज्ञप्तियां, क्रांतिकारी कविताएँ, पोस्टर और बैनरों के लिए क्रांतिकारी संदेशों को टाइप करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने 12 साल पूरे किये, मुझे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हथियार का चयन करने का मौका दिया गया। मैंने INSAS [असॉल्ट] राइफलें और कार्बाइन पसंद की चूँकि मैं शिविर में सबसे कम उम्र की लड़की थी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। मैं कभी-कभी रोटी [भारतीय फ्लैट रोटी] बनाती थी, वहां ज्यादा समय पुरूष खाना पकाते थे।

मैंने देखा कि मेरे अधिकांश सहयोगी और कमांडर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। बलों के द्वारा लातेहार के जंगलों में हमारे शिविर पर हमला किए जाने पर मुझे भी मेरे दाएँ पैर में एक गोली की चोट का सामना करना पड़ा। हम सब जो भी हथियार उठा सके, लेकर फरार हो गए। मेरे पैर में गोली लगने के बावजूद, मैं चार दिन और रात तक दौड़ती रही जब तक हम सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच गये।

जब मैंने अप्रैल में शिविर छोड़ा, तब जोनल कमांडर नकुलजी के शिविर में वहाँ 23 नाबालिग लड़कियाँ थीं, उनमें से कुछ तो सिर्फ 10 साल की थीं। यहां तक कि अगर मैं चाहती, तो भी मैं पुलिस को आत्मसमर्पण नहीं कर सकती थी क्योंकि इसमें मेरे समूचे परिवार के जीवन को खतरा हो सकता था। मेरा गांव एक माओवादी सुरक्षित क्षेत्र है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, वे मेरे माता पिता, छोटे भाई बहनों को मार डालेंगे। मैं पढ़ रही हूँ और तब तक पढ़ती रहूँगी, जब तक मुझे पहचाना न जाए और मुझे पकड़ न लिया जा सके, या जंगल में मेरे बॉस मुझे जबरन नहीं ले जाते।

वामपंथी सशस्त्र समूहों में बच्चों की भूमिका

ज्यादातर वामपंथी सशस्त्र समूह झारखंड में बहुत कम उम्र से औपचारिक और अनौपचारिक भूमिकाओं में बच्चों की भर्ती और उनका उपयोग करते हैं।[42] जबकि कुछ भर्ती किए बच्चे काफी संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाते हैं, प्रारंभिक शुरुआत दिमाग परिवर्तन से की जाती है और और धीरे धीरे उम्र के साथ अलग-अलग भूमिकाओं में प्रगति होती है; अन्य को अगवा कर लिया जाता है और विस्फोटकों के इस्तेमाल में तैनात किया जाता है या रसोइयों, कुली, संदेशवाहकों या मुखबिरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

सशस्त्र समूहों द्वारा भर्ती और उपयोग में बड़े पैमाने पर एक व्यापक मूल्यांकन के अभाव में, प्रभावित बच्चों की संख्या निर्धारित कर पाना असंभव है।

सीपीआई (माओवादी) शुरुआत में *बाल संगम* या *बाल दस्ता* नामक 10 बच्चों के समूहों में बच्चों की भर्ती करते हैं, जहां वे माओवादी विचारधारा सीखते हैं और पारंपरिक लाठी या धनुष और तीर जैसे गैर घातक हथियारों के उपयोग में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इससे पहले कि वे अपने कौशल और क्षमताओं के आधार पर अन्य विभागों में पदोन्नत किए जाएँ वे संदेशवाहकों या गार्ड या ग्रामीणों से भोजन इकट्ठा करने के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इस रिपोर्ट के लिए चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) द्वारा साक्षात्कार में ग्रामीणों ने पुष्टि की है कि छोटे बच्चों को सेना की तैनाती के बारे में खुफिया जानकारी देने और संदेशवाहकों या विभिन्न वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा संतरियों के रूप में कार्य करने का काम सौंपा जाता है।[43]

राज्य के अधिकारी समस्या से अच्छी तरह परिचित हैं। उदाहरण के लिए, हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) से कहा:

माओवादियों के द्वारा बच्चों की भर्ती नई घटना नहीं है। अति गरीबी, भोजन का अभाव और रोजगार के बेहद खराब अवसर कुछ प्रमुख कारण थे जो झारखंड में माओवादी समूहों में बच्चे शामिल होते थे... 2000 की शुरुआत में और उससे भी पहले, माओवादी शिविरों में बच्चों को आम तौर पर सांस्कृतिक समूहों में रखा जाता था जहां उन्हें संगीत में प्रशिक्षित किया जाता था, माओवादी विचारधारा सिखाई जाती थी, विभिन्न हथियारों के बारे में जानकारियां और उनके इस्तेमाल की तकनीकें सिखाई जाती थी, इसके साथ साथ उनमें कम से कम एक या दो क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को लिखने और पढ़ने की क्षमता विकसित की जाती थी। इन बच्चों को कुछ प्रशिक्षण के बाद, ओर अधिक बच्चों को लुभाने का कार्य सौंपा जाता था। उस समय हम छापों के दौरान हमें माओवादी मोबाईल स्कूल मिलते थे जहां युद्ध की रणनीति और प्राथमिक चिकित्सा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जाता था।

---

[42] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) के साथ एक बैठक के दौरान एडीजी एस.एन. प्रधान ने कहा, "हर कोई झारखंड में बच्चों का उपयोग करता है", 2 फरवरी 2016, रांची।

[43] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने झारखंड के 10 जिलों में साक्षात्कार किया, मार्च से अगस्त 2015। 2010 में प्रकाशित एक लेख में, लेखक अरुंधती रॉय ने माओवादियों से मिलने के लिए अपने लेख में यह वर्णित किया: "एक मिनट के अंदर ही एक युवा लड़के ने मुझसे संपर्क किया। उसके पास एक टोपी और एक स्कूल बैग था।" आउटलुक देखें, *कामरेड के साथ चलते हुए*, 29 मार्च 2010, http://www.outlookindia.com/article/walking-with-the-comrades/264738

वैचारिक खींचतान

थिम्बू ओरेयन (Thimbu Oraon), 1990 में स्वेच्छा से माओवादियों में शामिल हो गए, उस समय वह 15 साल के थे, क्योंकि वह उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। वे कहते हैं कि क्षेत्र की सालों से उपेक्षा, अल्प विकास, अशिक्षा और गरीबी ने माओवादियों को बच्चों की भर्ती के पर्याप्त अवसर दिये हैं। कई अन्य बच्चे भी उसके साथ शामिल हो गए और वह कई अन्य सदस्यों से भी मिले, जो बच्चे थे:

जब माओवादी पहली बार मुझे अपने शिविर में ले गए वहाँ कम से कम 25-30 बच्चे थे, जो बाल दस्ता का हिस्सा थे। मुझे उन लोगों के बीच रख दिया गया और बैनर, पोस्टर और पर्चे लिखने के लिए प्रशिक्षित किया गया, मुझे लेखन में मज़ा आता था।

ओरेयन ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) को बताया कि वहाँ बच्चों का एक स्कूल था, जहाँ बच्चों को पहली बार हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ाई गई। उन्हें हथियार चलाने, जासूसी करने और राज्य सुरक्षा बलों से प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए प्रशिक्षित करने और हमलों और अन्य गुरिल्ला कार्यों की योजना तथा विभिन्न हथियारों और गोला बारूद का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। बच्चों को उनकी ऊंचाई और गठन के अनुसार हथियारों के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाता था:

अगर कोई लड़का लंबा है, तो उसे आम तौर पर पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छह राउंड की राइफल दी जाती थी और अगर वह छोटा है, तो उसे छोटे हथियार दिए जाते थे। हर बच्चे को उसकी बंदूकों की सफाई और खोलकर फिर से फिट करने की तकनीकों की जानकारी दी जाती थी।

उसे 2003 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में छोड़ दिया गया, उसके खिलाफ सभी आरोपों भी हटा लिए गए। अब वह एक स्कूल चलाता है और गुमला जिले में एक प्रमुख आदिवासी समुदाय का नेता है।

जो बच्चे अंततः पीएलजीए (PLGA) के साथ मुकाबला करने की भूमिकाओं में भर्ती होते हैं, वे आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल करने का आगे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 2014 में, बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बच्चों को माओवादियों द्वारा बारूदी सुरंगों, ट्रिगर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) लगाने के लिए, और सरकारी बलों के खिलाफ युद्ध करने में इस्तेमाल किया जाता है।[44] सीपीआई (माओवादी) ने स्वीकार किया था कि वह 16 साल के बच्चों का लड़ाकों के रूप में उपयोग करते हैं लेकिन पीएलजीए (PLGA) में छोटे बच्चों की भर्ती से इन्कार कर दिया। 2009 के एक साक्षात्कार में, चेरुकुरी राजकुमार (उर्फ आजाद), तत्कालीन सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति (बाद में 2010 में सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया) के प्रवक्ता ने कहा:

मैं आत्मविश्वास से आपको बता सकता हूँ कि हमारी पीएलजीए (PLGA) में एक भी बाल सैनिक नहीं हैं। जब हमारे पीएलजीए (PLGA) दस्ते गांवों में जाते हैं, तो वहाँ के लड़के और लड़कियाँ समस्याएँ खड़ी कर देते हैं। वे हमारे साथ आना चाहते हैं और यहां तक कि माता-पिता उन्हें लेने और उन्हें सिखाने के लिए हमसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ गांवों में कोई स्कूल नहीं है या जहाँ स्कूल हैं वहाँ कोई शिक्षक नहीं हैं। इसलिए हम उन्हें अपने शिविरों में ले जाते हैं और उन्हें बुनियादी ज्ञान, जो कि लिखना, पढ़ना और गिनती है, को सिखाने में समय देते हैं। तब वे वापस घर जाते हैं। वे शारीरिक प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं, लेकिन इन युवाओं को कोई हथियार नहीं दिया जाता है... अगर कोई भी 16 वर्ष से कम उम्र की भर्ती का मामला किसी भी पार्टी समिति

[44] बच्चे और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) ए/68/878–एस/2014/339, 15 मई 2014।

कार्रवाई के ध्यान में आता है, तो उसे तुरंत संज्ञान में लिया जाता है।[45]

उसी वर्ष एक साक्षात्कार में, सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति के कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, ने भी 16 से कम उम्र के बच्चों की भर्ती से इन्कार करते हुए दावा किया कि वे सिर्फ आदिवासियों को अपने पारंपरिक हथियारों का "ज्यादा प्रभावी ढंग से" उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते थे।[46]

अभी हाल ही में इस रिपोर्ट के लिए शोध के दौरान झारखंड में वामपंथी सशस्त्र समूह के नेताओं ने स्वीकार किया कि वे बच्चों की भर्ती करते हैं, लेकिन फिर दावा किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वे केवल बुनियादी शिक्षा और संगठन के मूल्यों और सिद्धांतों की समझ प्रदान करते हैं। सीपीआई (माओवादी) के बिहार-झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्रीय समिति के सचिव दीनबंधु ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) से कहा:

हम अपने सशस्त्र दस्तों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की भर्ती नहीं करते। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी बंदूक उठाने नहीं देते और जहाँ भी हमारा संगठन मौजूद है, हमारे संगठन में इसका सख्ती से पालन किए जाने का नियम है।[47]

हालांकि, हमारे शोध के निष्कर्षों में स्पष्ट रूप से इन दावों का खंडन मिलता है। सीपीआई (माओवादी) और पीएलएफआई (PLFI) द्वारा 12 साल से कम उम्र के बच्चों की भर्ती और सशस्त्र भिड़न्त के दौरान उपयोग के प्रमाण नीचे दिए गए हैं, जिसमें उन लड़कियों का भर्ती किया जाना भी शामिल है, जिन्हें यौन हिंसा का अतिरिक्त जोखिम होता है।

सीपीआई (माओवादी) द्वारा जबरदस्ती बच्चों की भर्ती

हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा के अनुसार, जब किरण, माओवादी लड़ाकों की एक महिला जोनल कमांडर को, अप्रैल 2015 में जिले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, वह 12 साल से समूह की सदस्या थी, उसकी भर्ती उस समय की गई थी जब वह मात्र 13 वर्ष की आयु की थी।[48] किरण के माता-पिता ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) को बताया कि उसके एक चचेरे भाई ने उसे भर्ती किया था: "एक सुबह, हमने देखा कि वह गायब हो गई थी। हम उसका पता लगाने के लिए अपने सभी रिश्तेदारों के घर गए लेकिन असफल रहे। कुछ महीने बाद, हमें पुलिस से पता चला कि वह माओवादियों में शामिल हो गई थी।"[49] कई वरिष्ठ सीपीआई

---

[45] "कॉमरेड आजाद, प्रवक्ता, केंद्रीय समिति, सीपीआई (माओवादी), वर्तमान अभूतपूर्व सैन्य अभियान केंद्र और सीपीआई पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा (माओवादी) और सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी आंदोलन पर, " माओवादी सूचना बुलेटिन, संख्या, 12, 31 अक्टूबर 2009 http://www.bannedthought.net/India/CPI-Maoist-Docs/Statements-2014/CC_Collected_Interviews_10th_Anniversary-Eng-View.pdf

[46] "कॉमरेड कोसा, डीकेएसजेडसी (DKSZC) और केंद्रीय समिति, सीपीआई के सदस्य सचिव (माओवादी) के साथ साक्षात्कार," माओवादी सूचना बुलेटिन, नंबर 6, 15 जनवरी 2009, *http://www.bannedthought.net/India/CPI-Maoist-Docs/Statements-2014/CC_Collected_Interviews_10th_Anniversary-Eng-View.pdf*

[47] झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा के जंगलों में दीनबंधु, के साथ चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का गोपनीय साक्षात्कार, 18 मार्च 2015

[48] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) के साथ पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा, हजारीबाग का साक्षात्कार, 6 मई 2015।

[49] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का साक्षात्कार, पलामू, 24 जून 2015।

(माओवादी) नेता खेमें में उस समय शामिल हुए थे, जब वह बच्चे थे, नवीन मांझी, मुकेश गंझू और बृजेश गंझू, जो कथित तौर पर संगठन में शामिल होने के दौरान 11-12 साल के थे।

2008 में, ह्यूमन राइट्स वॉच के साक्षात्कार में सीपीआई (माओवादी) के पूर्व सदस्यों ने कहा कि खेमे में शामिल होने के दौरान वे बच्चे थे और उन्होंने हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया, ग्रामीणों पर सीपीआई (माओवादियों) की ओर से उनके बच्चों को सौंपने के दबाव का संकेत किया:

असहमति या संप्रदायवादी व्यवहार पर नक्सली द्वारा क्रूर सजा दिया जाना... परिवारों के लिए एकमात्र भर्ती अनुरोध उन पर जबरदस्त दबाव बनाता है। कुछ मामलों में नक्सली महज बैठकों के दौरान बच्चों के नाम नोट करते थे और उन्हें शामिल होने के लिए कहते थे।[50]

सीपीआई (माओवादी) का विरोध करने वाले वामपंथी सशस्त्र समूहों का प्रसार और सीपीआई (माओवादी) के प्रभुत्व को कमजोर करने के लिए राज्य के साथ सहयोग में काम करने वाले सजग समूहों के उद्भव ने हाल के वर्षों में अपनी ताकत बनाए रखने के लिए बच्चों सहित लड़ाकों के समूह की भर्ती में तेजी आ गई है। सुरक्षा बलों से बढ़ता दबाव भी इसकी संख्या बढ़ाने पर समूह का प्रयास तेज हो गया है।[51] झारखंड पुलिस का दावा है कि जब से सरकारी सुरक्षा बलों ने समूह के खिलाफ अभियान तेज किया है, तब से राज्य में बच्चों की जबरन भर्ती 2003-2004 के बाद से बढ़ी है।

सितंबर 2014 में, सुरक्षा बलों ने कहा कि उन्होंने 11 बच्चों को छुड़ाया था, सभी लड़के-लड़कियाँ किशोरावस्था में थे, एक वर्ष के बाद उनका एक सीपीआई (माओवादी) के प्रशिक्षण शिविर में भेजे जाने के लिए अपहरण कर लिया गया था।[52] एक जन अदालत लगाकर[53] बंदुआ, लातेहार जिले के दूरदराज के एक गांव में 13 सितंबर 2013 को सशस्त्र सीपीआई (माओवादी) के कार्यकर्ताओं द्वारा सुनवाई आयोजित करके तेजी से भर्ती शुरू की गई। लगभग 50 घरों के निवासियों पर पेड़ काटकर जंगलों को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया गया। उनकी रिपोर्ट में सजा के रूप में उनके लड़कों को लड़ाकों के रूप में सौंपने की उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए कहा गया। उनमें से एक निवासी ने हमसे कहा कि जनता की अदालत में आदेश दिया गया कि ग्रामीण "या तो भूमि खाली कर दें या हमें अपने बेटों को सौंप दें।"[54] आदेश के बाद माओवादियों ने दो व्यस्कों और एक 12 वर्षीय लड़के, परदेशी लोहरा सहित नौ बच्चों का

---

[50] ह्यूमन राइट्स वॉच, खतरनाक ड्यूटी, बच्चे और छत्तीसगढ़ संघर्ष, सितंबर 2008, http://www.hrw.org/reports/2008/09/05/dangerous-duty-0

[51] बी विजय मूर्ति, "झारखंड: माओवादी जबरन बाल सैनिक भर्ती कर रहे हैं," हिन्दुस्तान टाईम्स, 13 फरवरी 2013, http://www.hindustantimes.com/nocountryforchildren/jharkhand-maoists-forcibly-recruiting-child-soldiers/article1-1010800.aspx

[52] बी विजय मूर्ति और दीपक महतो, "11 किशोरों को छुड़ाया गया था जब उन्हें माओवादी शिविर में ले जाया जा रहा था," *दि हिन्दुस्तान टाईम्स*, 25 सितंबर 2014, http://www.hindustantimes.com/ranchi/maoists-recruiting-minor-girls-to-entertain-male-cadre-police/article1-1237829.aspx

[53] सीपीआई (माओवादी) द्वारा 'जन अदालतों' या जन अदालत का न्याय वितरण के लिए एक प्रभावी और त्वरित तरीके के रूप में लोगों को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनपर सरकार के मुखबिर का संदेह हो या "शत्रु वर्ग" । वे निष्पक्ष सुनवाई (जिनमें स्वतंत्रता, निष्पक्षता और न्यायाधीशों की योग्यता, मासूमियत का अनुमान या प्रतिरक्षा तक पहुँच शामिल हैं) के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करते।

[54] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का साक्षात्कार बंदुआ गांव, लातेहार जिला, मई 2015।

अपहरण कर लिया। चार दिन बाद विद्रोही उनके घर के पास उसकी लाश छोड़ गए। उसकी स्पष्ट तौर पर एक विस्फोटक डिवाइस के लिए बम बनाने में प्रशिक्षित किए जाने के दौरान अचानक ट्रिगर दब जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। शव परीक्षण में विस्फोट के कारण होने वाली चोटों के कारण मौत की पुष्टि की गई। परदेशी के पिता, बिलोखन लोहरा ने कहा कि उसने माओवादियों से अपने बेटे को न ले जाने के लिए भीख माँगी थी:

वे जबरदस्ती पास के जंगलों में हमारे बच्चों को घसीट कर ले गए और हमारे दया की भीख मांगने पर गायब हो गये। मैंने अपने बेटे को अंतिम बार जिंदा बस उस समय ही देखा था। चार दिन बाद, वे एक खाट पर मेरे घर के बाहर उसकी लाश फेंककर भाग गए।[55]

पुलिस के अनुसार कुछ व्यस्क और बच्चे (एक 10 वर्षीय, एक 11 वर्षीय और दो 15 वर्ष के बच्चों), 17 सितंबर, 2013 को भागने में सफल रहे कथित तौर पर बताया गया कि सीपीआई (माओवादी) के सदस्यों ने उनको राइफल की बट और लाठी से बुरी तरह पीटा था।

पूर्व बाल सैनिकों से लिए गए साक्षात्कार से पता चलता है कि माओवादी कैडर परिवारों से सीधे बच्चों को उन्हें सौंपने के लिए कहते हैं। अप्रैल 2015 में, सीएनएन-आईबीएन (CNN-IBN) ने एक 13 वर्षीय लड़ाके का साक्षात्कार किया था, जिसे एक सशस्त्र मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा बचाया गया। महिला साक्षात्कारकर्ता ने कहा:

माओवादी एक बैठक के लिए रात में मेरे घर पर आए और ग्रामीणों से कहा कि वे बच्चों को देंगे या नहीं। माओवादी नेता मतनजी आया और बच्चों को देने के लिए उनके माता पिता से कहा। नकुल यादव, एक अन्य नेता भी उसके साथ मौजूद था। मेरे माता-पिता ने कहा कि उन लोगों को वे अपनी लड़कियों कैसे दे सकते हैं, जो हमें अपने बच्चों को देने के लिए कहते हैं। उन्होंने एक और बैठक की, जहां उन्होंने धमकी दी कि अगर वे हमसे लड़ाई नहीं चाहते, तो हमें उनके साथ चलना चाहिए। इसके बाद ग्रामीणों ने हम चारों को उनके साथ भेज दिया।[56]

जबकि माओवादियों का दावा है कि बच्चे स्वेच्छा से आंदोलन में शामिल होते हैं, माता-पिता अक्सर माओवादियों से प्रतिहिंसा के डर की वजह से पुलिस से अपने बच्चों के अपहरण की रिपोर्ट नहीं करते। हमारे द्वारा साक्षात्कार में कई लापता बच्चों के माता-पिता का कहना है कि उनके बच्चे आवासीय स्कूलों में या रिश्तेदारों के साथ कहीं और रहते थे। हालांकि, जिन पड़ोसियों ने बच्चों को जबरन माओवादियों द्वारा दूर ले जाते हुए देखा था दावा करते हैं कि मामला वास्तव में ऐसा नहीं है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि जहां राज्य के कुछ क्षेत्रों में अधिकारियों की पहले पहुंच सीमित थी वहाँ वे उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम हो गए हैं, वहाँ रिश्तेदार और शिक्षक बच्चों की भर्ती के बारे में शिकायतों के साथ आगे बढ़कर आए हैं।

चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने 2014 में सीपीआई (माओवादी) द्वारा 40 बच्चों की जबरन भर्ती के प्रलेखन बनाए हैं। (बॉक्स देखें)। इनमें से कुछ मामलों में, माता पिता विरोध करने या अधिकारियों से शिकायत करने से डर रहे थे, और जब पुलिस ने

[55] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) के साथ बिलोखन लोहरा का साक्षात्कार, बंदुआ, 5 मई 2015।

[56] सुभाजीत सेनगुप्ता, "किशोर युवती माओवादियों के साथ कथित यौन शोषण की अपनी दर्दनाक कहानी याद करती है," CNN-IBN, 17 अप्रैल 2015, http://ibnlive.in.com/news/minor-girl-recounts-her-terrifying-story-of-alleged-sexual-exploitation-by-maoist/540467-3-233.html

पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गए हैं।[57] गुमला के पुलिस अधीक्षक ने हमें बताया कि 2014 में माओवादियों ने बिष्णुपुर क्षेत्र [छत्रपाल औरांन और लालदेव खेरवार] में बच्चों की जबरन भर्ती का विरोध करने वाले दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से ग्रामीणों के बीच बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया और वे अपने बच्चों की जबरन भर्ती के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे हट गये।[58]

चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) द्वारा प्रलेखित किए गए मामलों के अलावा 15 वर्षीय कुमार 31 मई 2015 को गुमला-लोहारदागा सीमा पर एक माओवादी शिविर से भाग निकला था। उसने कहा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य में एक मिल में काम करता था और छुट्टियों के लिए गुमला जिले में अपने गांव वापस लौटने के दौरान उसका माओवादियों ने अपहरण कर लिया था। वह भागने से पहले लगभग तीन महीने तक उनके साथ रहा था:

19 फरवरी को, लगभग 200 माओवादी लड़ाकों का समूह हमारे गांव आया, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ एक बैठक आयोजित की। मैं उन्हें दूर से देख रहा था। बैठक समाप्त होने के बाद, माओवादियों ने मुझे और मेरे दोस्त [नाम बताने से मना कर दिया] जो पड़ोस के घर में रहते थे, दोनो को बुलाया। वे हम दोनों को हमारे कंधों से पकड़कर अपनेसाथ ले गए। कई किलोमीटर तक चलने के बाद, हम कुमारी गांव के पास माओवादियों के शिविर पर पहुँचे, जहाँ हमने देखा कि हमारे जैसे कई बच्चे तंबूओं में रह रहे हैं। बच्चों को 11 के समूहों में बांट दिया गया, प्रत्येक समूह का एक नेता नेतृत्व करता था। हमें दिन में तीन बार भोजन मिलता था और हथियारों और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ रणनीति में प्रशिक्षित किया गया। मैं वहाँ रहना नहीं चाहता था, लेकिन बिना अनुमति के एक इंच भी हिल नहीं सकता था। एक सुबह, जब हमारे नेता सो रहे थे, मैं भाग गया और किसी तरह अपने घर पहुंचा। मेरे माता-पिता ने मेरी वापसी के बारे में पुलिस को सूचित किया। मुझे फिर से उनके द्वारा पकड़े जाने का डर सता रहा था। मैं अपनी सारी जिंदगी एक प्रवासी मजदूर की तरह नहीं बिताना चाहता था। मेरी इच्छा है कि सरकार मुझे कुछ तकनीकी काम में प्रशिक्षित करे ताकि मैं भी एक सभ्य जीविकोपार्जन कर सकूँ।[59]

सोलह साल की बालमुनि कुमार और उसकी पड़ोसन भानुप्रिया को जबरन जून 2014 में बिष्णुपुर में माओवादियों द्वारा भर्ती किया गया था। बाद में दोनों लड़कियाँ फरवरी 2015 में भागने में सफल रहीं, माओवादी गांव आए और उन्हें वापस ले गए। बालमुनि को सुरक्षा बलों द्वारा 29 मार्च 2015 को गुमला-लातेहार सीमा पर बरैनी जंगलों में उनके शिविर पर छापा मारने के दौरान पकड़ा गया था। हमने उसका अप्रैल 2015 में अस्पताल में साक्षात्कार किया, जहां उसे लड़ाई के दौरान घायल होने के बाद भर्ती कराया गया था। उसने हमें

[57] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का मनोज रतन छोथे, पुलिस अधीक्षक, लोहारदागा पुलिस स्टेशन के साथ एक साक्षात्कार।

[58] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का भीमसेन तूती, पुलिस अधीक्षक, गुमला के साथ साक्षात्कार, 5 जून 2015।

[59] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने कुमार, पहचान छिपाने के लिए बदला हुआ नाम, के साथ साक्षात्कार किया, गुमला, 5 जून, 2015।

बताया कि उसके शिविर में 16 से 22 साल की आयु की सात लड़कियाँ थी और उसने मुठभेड़ में मारे जाने से पहले उनके बचाव के लिए पुलिस से आग्रह किया था।[60]

बबलू यादव, एक पूर्व माओवादी और पलामू जिले से अब ग्राम प्रधान ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) से कहा:

माओवादियों के साथ हमारे समय के दौरान बच्चों से अच्छा व्यवहार किया जाता था। हमारे बाल दस्ता में काम करने वाले कई बच्चे थे, जिनमें से ज्यादातर स्वेच्छा से समूह में शामिल हुए थे। आज, मैं सुनती हूँ कि बच्चों को जबरन उठाया जा रहा है। मैं इस तरह के कृत्यों के अस्वीकृत करती हूँ।[61]

अपहरण और भर्ती: गुमला, लोहारदागा और लातेहार से बच्चे

अप्रैल 2015 में, झारखंड उच्च न्यायालय ने गुमला जिले में वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा 35 बच्चों के अपहरण करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों को नोटिस जारी किये, जिनमें झारखंड के गृह मामलों के विभाग, झारखंड महिला विभाग, पुलिस और बाल विकास और समाज कल्याण विभाग भी शामिल थे, उनको कार्यवाही करने के लिये आदेश जारी किये।[62] जवाब में पुलिस ने शुरू में कहा कि माता पिता कोई भी शिकायत नहीं दर्ज कराते थे, लेकिन गुमला और लोहारदागा जिलों में किए गए एक डोर-टू-डोर ऑपरेशन में कथित तौर पर पता चला है कि कई बच्चों का वास्तव में अपहरण कर लिया गया था। भारत संघ ने अदालत को बताया कि यह पता नहीं चल पाया है कि देश भर में वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा कितने बच्चों को भर्ती किया गया था, जबकि अमीकस क्यूरी सुमित गाडोदिया ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी लापता बच्चे वापस लाने और शिकायत दर्ज करने के बारे में अपहरण के खिलाफ निवारक उपाय करने में अधिक चिंतित लग रहे थे।[63] 22 मई 2015 को उच्च न्यायालय ने डी. के. द्वारा प्रस्तुतियों का जायजा लिया पांडेय, झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि लोहारदागा, गुमला और लातेहार जिलों में सुरक्षा अभियानों के बाद पांच बच्चों को बचा लिया गया।[64] हालांकि, श्री पांडेय ने अपहरण को रोकने और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान का विस्तार करने के लिए और क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया था।

यह घटनाएं 25 जुलाई 2014 को रांची रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा की एक घोषणा से पहले हुई थी। उस दिन, सिंह ने स्थानीय मीडिया से कहा कि सीपीआई (माओवादी) गुमला, लोहारदागा और लातेहार जिलों में गांवों से पिछले

[60] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने बालमुनि के साथ साक्षात्कार, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची, 8 अप्रैल 2015 में किया था।

[61] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का बबलू यादव के साथ साक्षात्कार, पूर्व बाल सैनिक, पलामू जिला, 24 जून 2015।

[62] रिट याचिका 2015 की 1746, झारखंड उच्च न्यायालय 23 अप्रैल 2015। आदेश में एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया था। http://www.jharkhandhighcourt.nic.in/judgement/order_passed_17462015.pdf

[63] 2015 की 1746 रिट याचिका, झारखंड उच्च न्यायालय, 21 मई 2015, http://jhr.nic.in/hcjudge/data/50-1746-2015-21052015.pdf

[64] रिट याचिका 2015 की 1746, झारखंड उच्च न्यायालय, 22 मई 2015, http://jhr.nic.in/hcjudge/data/50-1746-2015-22052015.pdf

10 दिनों में लगभग 40 बच्चों को भर्ती कर चुके हैं, अपने बच्चों को भर्ती करने से मना करने वाले पांच लोगों की उन्होंने नृशंस हत्या कर दी ।[65] सीपीआई (माओवादी) ने इन आरोपों से इन्कार कर दिया।[66]

बच्चों की भर्ती के जुलाई 2014 के मामलों की जून 2015 में पुष्टि की गई थी, जब पुलिस अधिकारियों ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) को बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने गुमला जिले के बिष्णुपुर क्षेत्र में 31 गांवों से सात या आठ महीनों में 29 बच्चों को अगवा किया था और उन 14 में से 12 बच्चों को लोहारदागा जिले में अपहरण से बचाने का प्रयास किया गया, क्योंकि उन्हें स्थानीय मीडिया से 22 अप्रैल 2014 को लापता सूचित किया गया था।[67] 12 और 13 साल की आयु के दो लड़कों को कथित तौर पर पहले ही 2014 के अंत में सीपीआई (माओवादी) के शिविरों से बचा लिया गया था। लोहारदागा पुलिस को दिए गए एक बयान में दर्ज किया गया था, जिसे चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) द्वारा देखा गया, उसमें सीपीआई (माओवादी) और पुलिस दोनों का डर दर्शाया गया है, दो लड़कों के माता-पिता को समझाया गया कि उन्हें मारे जाने या पुनः भर्ती किए जाने के डर से बचाने के लिये उनके बच्चों को दूसरे राज्य में भेज दिया गया है:

हम अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। वे निर्दोष हैं। कृपया हमें इसके बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर न करें कि उन्हें किसके द्वारा ले जाया गया, कहाँ उन्हें रखा गया या कैसे वे भागने में कामयाब रहे। कृपया हमें और हमारे बच्चों को छोड़ दें। वे दूसरे राज्य में चले गए हैं और कभी किसी भी समय वापस नहीं आएँगे।[68]

पीएलएफआई (PLFI) द्वारा बच्चों की भर्ती और उन पर हमले

झारखंड के खूंटी जिले में पीएलएफआई (PLFI) का प्रभुत्व है, जहाँ 2014 में राज्य के किसी भी जिले से बच्चों के लापता होने के मामलों की सबसे ज्यादा संख्या सूचित की गई है।[69]

राज्य के अधिकारियों का आरोप है कि पीएलएफआई (PLFI) झारखंड में बच्चों सहित सैकड़ों नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है।[70] पीएलएफआई (PLFI) कथित तौर पर स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर करता है और उन पर हमला करने और सरकारी स्कूल के

---

[65] के.ए. गुप्ता और आलोक के.एन. मिश्रा, "माओवादियों ने गुमला, लोहारदागा में 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी," टाईम्स आफ इंडिया, 26 जुलाई 2014, http://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/Maoists-kill-5-in-Gumla-Lohardaga/articleshow/39016597.cms

[66] झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा के जंगलों में दीनबंधु, के साथ चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का गोपनीय साक्षात्कार, 18 मार्च 2015

[67] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का लोहारदागा और गुमला के पुलिस अधीक्षक के साथ साक्षात्कार, 6 जून 2015

[68] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) द्वारा प्राप्त किये गये लोहारदागा पुलिस के द्वारा माता-पिता की वीडियो रिकॉर्डिंग, 25 जून 2015।

[69] जनवरी से दिसंबर 2014 के बीच लापता बच्चों की हेल्पलाइन के माध्यम से 63 बच्चे लापता दर्ज किए गए थे, लापता बच्चों की रिपोर्ट, दिव्या सेवा संस्थान, 2015। इन बच्चों में से कुछ का अपहरण किया गया है या विभिन्न सशस्त्र समूहों द्वारा मारे गए हैं और उन्हें जंगलों में फेंक दिया गया, वहीं अधिकारियों का मानना है कई अन्य मानव तस्करी के भी शिकार हैं, जो अच्छी मजदूरी के लालच में और देश के अन्य सुरक्षित भागों में भेज दिये गये हैं। दिल्ली स्थित संगठन शक्ति वाहिनी ने दावा किया है कि उसने पिछले चार सालों में, घरेलू या कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किए जाने वाले, तस्कर और परिवारों से लगभग 200 झारखंड बच्चों को बचाया है।

शिक्षकों को मार डालने की धमकी देता है। समूह छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 18 आवासीय स्कूल चलाने का दावा करता है। दिनेश गोप, पीएलएफआई (PLFI) के नेता, सीपीआई (माओवादी) की प्रथाओं पर उसके विपरीत हैं: *जहाँ माओवादी स्कूलों को बुलडोज़र से गिरा देते हैं, हम स्कूलों का निर्माण करते हैं; जहाँ वे अपने सशस्त्र बलों और बाल दस्तों की भरपाई करने के लिए अपहरण करते हैं और बच्चों की भर्ती करते हैं, वहीं हम गांवों से गरीब बच्चों को ले जाकर उन्हें निःशुल्क शिक्षा के लिए आवासीय स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं। हमारे स्कूलों में बच्चे बड़े होकर डॉक्टर और इंजीनियरों बनते हैं; माओवादी दस्तों में बच्चों से बंदूकें उठाने और फायरिंग करने का काम करवाया जाता है।*.[71] पुलिस की प्रतिक्रिया है कि ये "स्कूल" ठिकाने और बच्चों की भर्ती के लिए प्रशिक्षण आधार के रूप में सेवा प्रदान करते हैं।

स्थानीय पत्रकारों और ग्रामीणों ने हमें बताया कि पीएलएफआई (PLFI) बच्चों को भर्ती करने में उन्हें सेलफोन और नकदी के आकर्षक ऑफर देकर प्रेरित करने में अधिक सफल है, कोटना गांव के एक निवासी के अनुसार, जो कि रू. 2500-3000 (लगभग US$24-29) तक प्रति माह देते हैं। बच्चे शुरू में मुखबिरों के रूप में जुड़ते हैं और चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने ऐसी खबरें भी सुनी हैं कि पीएलएफआई (PLFI) में शामिल होने के लिए लड़कों को लुभाने के एक साधन के रूप में युवा लड़कियों को भर्ती के लिए लक्षित किया जाता है।[72] एक स्थानीय पत्रकार ने दावा किया है कि पीएलएफआई (PLFI) लड़कियों की भर्ती में, उन्हें जींस, पैंट और शर्ट के रूप में स्मार्ट कपड़े पहनने के लिए देते हैं और शिविरों में शामिल होने के लिए लड़कों को मन परिवर्तन में उनका इस्तेमाल करते हैं।[73] कई गांवों में खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 15 वर्ष की आयु से ऊपर शायद ही कोई लड़की गांव में देखी जाए, क्यूंकि उन्हें या तो भर्ती से बचने के लिये अन्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता है या वे पहले से ही उनकी भर्ती हो चुकी होती है, ग्रामीण इतने भयभीत हैं कि वह उनके अपहरण की सूचना दर्ज ही नहीं करते:

आवाज उठाने का मतलब मौत निश्चित है। जब वे हमारी बेटियों और बहुओं को ले जाते हैं, तो हम बस देखते रह जाते हैं। जंगलों में और उसके आसपास रहने वाली कोई भी लड़की बच नहीं पाती है।[74]

"मुखबिरों" के रूप में काम करने की एक अनिर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद औपचारिक भर्ती इस प्रकार है। भर्ती कर लिए जाने पर, इस संकल्प के साथ बच्चों को हथियारों के प्रशिक्षण के लिए शिविरों में लाया जाता है कि उन्हें अच्छा खाना और बेहतर कपड़े प्राप्त होंगे। बच्चों को इस तर्क के आधार पर कि उनकी छोटे उंगलियाँ बम को गति प्रदान करने वाली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम हैं, उन्हें आईईडी बिछाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पीएलएफआई (PLFI) प्रमुख, दिनेश गोप, बच्चों की

---

[70] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और एचएक्यू सीआरसी (HAQ) के सजल चक्रवर्ती, झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव, रांची के साथ साक्षात्कार, 15 मई 2015, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पीएलएफआई (PLFI) ने अपने नियंत्रण वाले खूंटी जिला और अन्य क्षेत्रों में पूरे सामाजिक विकास को तहस-नहस कर दिया है।

[71] पूर्वोक्त (Ibid.)

[72] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का गोपनीय साक्षात्कार, विवरण सुरक्षा कारणों से नहीं दिया गया है।

[73] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) के मोहम्मद परवेज, प्रभात खबर संवाददाता, घाटशिला के साथ साक्षात्कार, 2 अप्रैल 2015।

[74] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का गोपनीय साक्षात्कार, विवरण सुरक्षा कारणों से नहीं दिया गया है।

जबरदस्ती भर्ती से इन्कार करते हैं, हालांकि वह स्वीकार करते हैं कि खेमे में कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं, जो उन्हें शामिल करने पर जोर देते रहे हैं, लेकिन उन्हें हथियारों का उपयोग करने या युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।[75]

लड़कियों का यौन शोषण

स्थानीय सीपीआई (माओवादी) के नेताओं ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) को बताया कि उनके सभी सदस्यों में कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएँ हैं।[76] इस रिपोर्ट के लिए इसका शोध करने पर, हमने सीपीआई (माओवादी) के कैडर द्वारा बालिका सैनिकों के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के छह मामले 2015 में प्रलेखित किए हैं। दो मामलों में, डॉक्टरों ने मेडिकल सहायता से जीवित बचे लोगों के यौन शोषण के प्रमाण की पुष्टि की है (नीचे बॉक्स देखें)। एक बालिका सैनिक द्वारा विस्तार से बताया गया:

कमांडर महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय इसे आम सहमति से सेक्स के रूप में पेश किया जाता है। गर्भपात नियमित मामला होता है, क्योंकि महिला कमांडर माँ नहीं बन सकतीं।[77]

लड़कियों के यौन शोषण के बारे में जानकारी का एक 13 वर्षीय माओवादी महिला सैनिक (ऊपर बच्चों की जबरदस्ती भर्ती पर अनुभाग देखें) के साथ अप्रैल 2015 में सीएनएन-आईबीएन को दिए गए साक्षात्कार में पता चला था। उसने कहा कि सीपीआई (माओवादी) पुलिस से सशस्त्र मुठभेड़/संघर्ष के दौरान मानव ढाल के रूप में दस साल तक के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और यह भी कहा कि उसका और अन्य लड़कियों का यौन शोषण किया गया था।[78] सितंबर 2014 में *हिंदुस्तान* टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि एक माओवादी लड़ाके को युवा बच्चों के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार करने पर उसने स्वीकार किया था कि उसे विशेष रूप से शिविर में युवा लड़कियों को लाने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वे "मनोरंजन का एक स्रोत थीं।"[79]

जुलाई 2015 में, हजारीबाग जिले में पुलिस ने तीन लड़कियों को गिरफ्तार किया: जिले में एक सीपीआई (माओवादी) के शिविर पर एक छापे के दौरान, दो की आयु14 वर्ष थी और एक की आयु 17 वर्ष थी। उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को बताया था कि वे पैसे, भोजन और कपड़े प्राप्त करने की आशा में तीन साल पहले समूह में शामिल हुए थे। उन्होंने माओवादी विचारधारा में शिक्षा प्राप्त की और उन्हें गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के बाद सरिता नाम की एक वरिष्ठ महिला नेता के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। हालाँकि, 2013 में सुरक्षा बलों के साथ एक सशस्त्र मुठभेड़ में सरिता की मृत्यु के उपरान्त, उन्होंने बताया कि शिविर में सभी युवा लड़कियाँ पुरुष कमांडरों

---

[75] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और 11 मई, 2015 दिनेश गोप, झारखंड-ओडिशा की सीमा के साथ हक़ (HAQ) का साक्षात्कार।

[76] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का गोपनीय साक्षात्कार, 8 मई, 2015, सुरक्षा कारणों की वजह से विवरण नहीं दिया गया है।

[77] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) का गोपनीय साक्षात्कार, 13 जुलाई, 2015, सुरक्षा कारणों की वजह से विवरण नहीं दिया गया है।

[78] सुभाजीत सेनगुप्ता, एक किशोर युवती माओवादियों द्वारा अपने कथित यौन शोषण की भयावह कहानी ब्यान करती है," सीएनएन-आईबीएन, 17 अप्रैल 2015, http://ibnlive.in.com/news/m inor-girl-recounts-her-terrifying-story-of-alleged-sexual-exploitation-by-maoist/540467-3-233.html

[79] बी विजय मूर्ति और दीपक महतो, "11 किशोरों को माओवादी शिविर में ले जाते समय बचाया गया," *दि हिन्दुस्तान टाईम्स*, 25 सितंबर 2014, http://www.hindustantimes.com/ranchi/maoists-recruiting-minor-girls-to-entertain-male-cadre-police/article1-1237829.aspx

द्वारा यौन दुर्व्यवहार के कारण असुरक्षित हो गई थी जिन्होंने उनकी पहरेदारी की ड्यूटी पर बारी-बारी से उनके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने सूचित किया कि युवा लड़कियों ने दावा किया है कि वे शिविर से भाग नहीं सकीं क्योंकि उन पर लगातार पहरा रखा जाता था।[80]

नृशंस हिंसा के अधीन

18 जुलाई 2015 को, अस्पताल के अधिकारियों ने रामगढ़ जिले में पुलिस को सूचित किया कि 14 और 17 वर्ष आयु की दो लड़कियाँ गंभीर जननांग चोटों से पीड़ित हैं, जिन्हें बेजुलिया में लाइफ केयर अस्पताल में छोड़ दिया गया था। चिकित्सकों ने पुलिस को बताया कि लड़कियाँ, जो माओवादी लड़ाका होने का दावा करती हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। बाल सैनिक अन्तर्राष्ट्रीय एवं हक़ (HAQ) द्वारा साक्षात्कार में, 17 वर्षीय लड़की ने कहा कि उसे 2012 में एक बाल सैनिक के रूप में भर्ती किया गया था और उसके साथ बार-बार पुरुष कमांडरों द्वारा बलात्कार किया जाता रहा था: *शिविर में आने वाली प्रत्येक पहली लड़की पर कमांडर का दावा होता था।* उसने बताया कि खाना पकाने और सफाई के अतिरिक्त, उसने झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के जंगलों में कई सशस्त्र अभियानों में भी भाग लिया था और यह भी बताया कि वहाँ अभी भी कम से कम 20 लड़कियाँ हैं जिन्हें उनके शिविर में जबरन भर्ती किया गया है। 14-वर्षीय ने हमें बताया कि उसे अस्पताल में लाए जाने के चार या पाँच महीने पहले भर्ती किया गया था।

पहले दिन से ही, एक पुरुष सदस्य ने मुझे यौन-क्रिया के लिए निशाना बनाना शुरू कर दिया था। मैंने विरोध करने और भागने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सकी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह एक भयावह अनुभव था। मेरे साथ लगभग हर दिन बलात्कार किया गया। जब मेरी हालत खराब हो गई तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाएँ दी किन्तु उस उपचार कारगर नहीं रहा। अंत में उन्होंने मुझे एक नर्सिंग होम के पास छोड़ दिया और भाग गए। मैं फिर से वापस उस नरक में नहीं जाना चाहती। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ और एक अच्छा नागरिक बनना चाहती हूँ।

तडाशा मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड, बोकारो जोन ने हमें बताया है कि पुलिस ने शेष लड़कियों को बचाने के लिए योजना बनाई और कई माओवादी कमांडरों के ख़िलाफ़ बलात्कार के आपराधिक मामले दर्ज किए हैं।

3 शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव

हालाँकि भारतीय कानून में शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से महसूस नहीं किया जाता। जबकि वहां लगभग सार्वभौमिक नामांकन है, तब भी कई बच्चे जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, वे पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि स्कूल के अधिकारी प्रत्येक छात्र की कक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनका ध्यान और ट्रैक नहीं रखते।

झारखंड में सशस्त्र हिंसा का ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुँच पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जहाँ बच्चे पहले से ही कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।[81] जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कुछ मामलों में वामपंथी सशस्त्र समूहों ने शिक्षकों को निशाना बनाया

[80] बाल सैनिक अन्तर्राष्ट्रीय एवं हक़ (HAQ) ने पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा, हजारीबाग के साथ 20 जुलाई 2015 को साक्षात्कार किया था।

है क्योंकि वे शिक्षित हैं और सरकार द्वारा नियोजित हैं; परिणामस्वरूप, शिक्षक अपनी सुरक्षा के डर से अक्सर कक्षाओं में भाग लेने से बचते हैं।[82]

भारत के संघीय ढाँचे के शासन के अंतर्गत, शिक्षा तक पहुँच राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। हालाँकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सशस्त्र माओवादी समूहों को ऐसे क्षेत्रों में ग्रामीणों से अधिक समर्थन प्राप्त होता है जहाँ शिक्षा सहित राज्य के संसाधनों तक पर्याप्त पहुँच नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया में, 2012 में केंद्र सरकार ने, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए, एक एकीकृत कार्य योजना का प्रारम्भ किया, झारखंड में, 82 ऐसे जिलों में जहां पर वामपंथी सशस्त्र समूहों का संचालन किया जा रहा था, स्कूलों और आवासीय स्कूलों का निर्माण करना शामिल था।[83] राज्य सरकार ने अपनी 2015-16 की वार्षिक राज्य योजना में शिक्षा के लिए अपने बजट का एक महत्वपूर्ण 13.3 प्रतिशत आवंटित किया।[84]

भारत के किसी भी राज्य की तुलना में झारखंड के शिक्षा संकेतक सबसे ख़राब हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वस्कूल (एनयूईपीई) (NUEPA) की रिपोर्टों के अनुसार, झारखंड में शिक्षकों की बहुत कमी है।[85]

भारत में शिक्षा का अधिकार

छह से चौदह वर्ष की आयु सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान एक मौलिक अधिकार है जिसे 2002 में 86वें संशोधन के बाद भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया, और साथ ही इसके फलस्वरूप बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई एक्ट) (RTE Act) कानून प्रतिस्थापित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 को अस्तित्व में आ गया। आरटीई अधिनियम इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय और समयबद्ध रूपरेखा का प्रावधान प्रदान करता है, इन लक्ष्यों की श्रृंखलाओं प्रदान करने के लिए अधिकारियों के उत्तरदायित्वों को स्थापित करते हुए अध्यापक-छात्र अनुपात, स्कूल का भवन और बुनियादी ढाँचे के मानक, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षकों के काम के घंटे और उचित शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 46 में यह भी कहा गया है कि "राज्य, समाज के कमजोर वर्गों और, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के, शिक्षा और आर्थिक हितों को, विशेष देखभाल के साथ प्रोत्साहित करेगा, और उनकी सामाजिक अन्याय और सभी रूपों के सामाजिक शोषण से रक्षा करेगा।"

---

[81] उदाहरण के लिए सेव दि चिल्ड्रन, (save the children) कॉट इन दि क्रॉसफायर (caught in the crossfire)< *द्वारा रिपोर्ट को देखें,* http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/caught_in_crossfire.pdf

[82] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने एक स्कूल शिक्षक के साथ साक्षात्कार किया, जो अपने परिवार पर हमले होने पर गुमला से रांची चला गया, 15 जून 2015। बीबीसी (BBC) भी देखें, *क्या भारत के बागी बागी माओवादी युद्ध जीत रहे हैं?* 28 मई 2010, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/8710747.stm; NDTV / एनडीटीवी/प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इण्डिया, माओवादियों ने उड़ीसा में अध्यापक का गला काट दिया, 16 अगस्त 2010, http://www.ndtv.com/india-news/maoists-slit-teachers-throat-in-orissa-427536; प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इण्डिया,Suspected संदिग्ध माओवादियों ने स्कूल के अध्यापक को गोली मार दी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इण्डिया, 2 अप्रैल 2011, http://www.ndtv.com/india-news/suspected-maoists-gun-down-school-teacher-451908 संदिग्ध माओवादियों ने स्कूल के अध्यापक को गोली मार दी

[83] गृह मंत्रालय का वामपंथी उग्रवाद प्रभाग, http://www.mha.nic.in/naxal_new

[84] एक नज़र में 2015-16 का बजट, झारखंड सरकार, http://finance-jharkhand.gov.in/download/Budget_PDF/BGT1516/Budget%20at%20a%20Glance/Budget%20at%20a%20Glance%202015-16.pdf

[85] सभी के लिए शिक्षा: निष्पक्षता के साथ गुणवत्ता की ओर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पृ.99, http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/EFA-Review-Report-final.pdf

और अध्यापक-छात्र अनुपात बहुत अधिक है,[86] जबकि लगभग एक चौथाई प्राथमिक शिक्षकों में व्यावसायिक योग्यताओं की कमी है।[87] एनयूईपीए (NUEPA) द्वारा तैयार किए गए शिक्षा विकास सूचकांक (ईडीआई) (EDI) के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में झारखंड 2011-12 में,35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 34वें स्थान पर आता है, 2012-13 में 35वें और 2013-14 में 33वें स्थान पर था,[88] जबकि 2011 की जनगणना में झारखंड की कुल साक्षरता 66.41 प्रतिशत दर्शायी गयी थी, जो कि किसी भी राज्य की तुलना में चौथे निम्न स्तर पर थी और राष्ट्रीय औसत 74.04 प्रतिशत से काफी नीचे थी।[89] हालाँकि, राज्य सरकार ने हाल ही में इन मुद्दों से निपटने के लिए कदम उठाए हैं, और 2015 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 18,000 से अधिक योग्य शिक्षकों और माध्यमिक क्षेत्र में लगभग 4000 शिक्षकों की नियुक्तियां की हैं, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण सुविधाओं की स्थिति भी ख़राब है। 2012 में बाल अधिकार संरक्षण के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCPCR) द्वारा पलामू जिले के एक दौरे के दौरान उन्होंने खाली स्कूल की इमारतों, अनुपस्थित कर्मचारियों और स्कूल, अस्पतालों, छात्रावासों और *आंगनवाड़ी* केन्द्र - जो उच्च कुपोषण के क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, भोजन और बच्चों के लिए पोषण प्रदान करते हैं - उनमें अस्वास्थ्यकर स्थिति को उजागर किया। उन्हें लड़कियों के एक आवासीय स्कूल का पता चला जिसमें एक संप्रेक्षण गृह (observation home) भी था जिसे स्थानीय जेल के निकट कानूनन संघर्ष वाले बच्चों को रखने के लिए स्थापित किया गया था, और इनमें उन बच्चों के लिये सहानुभूति व्यक्त की जाती है जिन्हें आश्रय गृहों का अभाव और सुरक्षा की आवश्यकता होती है।[90]

खूंटी जिले में लगभग 65 प्रतिशत स्कूलों में स्थायी शिक्षक नहीं है और अधिकतर अयोग्य कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। कई बच्चों की ऐसे ही रूचि समाप्त हो जाती है और वे स्कूल छोड़ देते हैं, जिनमें से कुछ सशस्त्र समूहों में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनके परिवार इतने गरीब हैं कि उनके पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, झारखंड में 50,551 स्कूल हैं, जिनमें 7,629,215 छात्र नामांकित हैं।[91] राज्य में अभी भी 13,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना बाकी है। यहाँ

---

[86] आरटीई अधिनियम के तहत लक्ष्य 30: 1 की अपेक्षा, झारखंड के लिए अनुपात 39: 1 था। सभी के लिए शिक्षा: निष्पक्षता के साथ गुणवत्ता की ओर पृ. 84-5; अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, स्कूलों में अध्यापक-छात्र अनुपात और उनके प्रभाव, फरवरी 2014, भी देखें http://www.azimpremjifoundation.org/pdf/PTR%20report.pdf

[87] भारत में प्राथमिक शिक्षा: प्रवाह 2005-06 में 2014-15, पृ. 34, http://dise.in/Downloads/Trends-ElementaryEducation-2014-15/ElementryEducationInIndia2014-15.pdf.

[88] ईडीआई (EDI) शिक्षा के लिए एनयूईपीए (NUEPA) की जिला सूचना प्रणाली के अधीन संकलित आंकड़ों पर आधारित है, और इसमें चार उप समूहों - अभिगमन, अवसंरचना, शिक्षक, और परिणाम – के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का आँकलन करने के लिए संकेतकों की एक सीमा का उपयोग किया गया है। अधिक जानकारी के लिए भारत में प्राथमिक शिक्षा देखें: 2011-12 के लिए यूईई [सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा] की दिशा में प्रगति रिपोर्ट्स: http://www.dise.in/Downloads/Publications/Publications%202011-12/Flash%202011-12.pdf; 2012-13: http://www.dise.in/Downloads/Publications/Documents/Flash%20Statistics%202012-13.pdf; 2013-14: http://www.dise.in/Downloads/Publications/Publication2013-14/FlashBook2013-14.pdf

[89] भारत में साक्षरता, भारत में 2011 की जनगणना, http://www.census2011.co.in/literacy.php

[90] बाल अधिकार संरक्षण के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCPCR) के दौरे की रिपोर्ट, 2012, http://ncpcr.gov.in/showfile.php?lid=99

[91] मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 'झारखंड,' http://inst.mhrd.gov.in/citizen/secure/initInstListMapViewAction.do?stateId=19

प्रति स्कूल दो के औसत से, 80,000 अर्ध [92] शिक्षक हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि स्थायी शिक्षकों के अभाव में भी स्कूल चलते रहें। संघर्ष क्षेत्रों में, सुरक्षा चिंताओं के कारण स्थायी शिक्षक अक्सर कक्षाओं में उपस्थित रहने में विफल रहते हैं और अर्ध शिक्षकों पर पढ़ाने का उत्तरदायित्व छोड़ देते हैं।

झारखंड में बच्चों की शिक्षा की यह विकट स्थिति स्कूलों पर सशस्त्र अराजकों की हमला करने की रणनीति से और बिगड़ सकती है। भाकपा (माओवादी) और अन्य समूहों ने स्कूलों पर हमला और बमबारी की है, जबकि सरकारी बल सुरक्षा अभियानों के दौरान ठिकानों के रूप में स्कूलों पर कब्जा करते हैं। 7 मार्च 2011 को, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षा बलों को सभी स्कूलों को खाली करने के आदेश दिये थे।[93] चाइल्ड सोल्जर इंटरनेशनल यह पता लगाने में सक्षम नहीं रहा है कि क्या इस आदेश को पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया है। माओवादियों ने दावा किया है कि वे केवल उन्हीं स्कूलों को निशाना बनाते हैं जो सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। हालाँकि, ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा किये शोध ने इस दावे का खण्डन करते हुए यह चेताया है कि इस तरह के उच्च दृश्यता वाले "अस्पष्ट" लक्ष्यों पर हमले स्थानीय नागरिकों को आतंकित करने के आशय से किए जाते हैं, जैसा कि 2009 में एक चुनाव बहिष्कार के लिए माओवादी आह्वान के दौरान बढ़े हुए हमलों से स्पष्ट होता है, क्योंकि स्कूलों को प्रायः मतदान केंद्रों के रूप में उपयोग किया जाता था। [94] 2009 के एक साक्षात्कार में, भाकपा (माओवादी) केन्द्रीय समिति के तत्कालीन प्रवक्ता, आज़ाद, ने कहा था:

स्कूलों की पवित्रता का सम्मान नहीं करने के लिए तथाकथित सुरक्षा बलों और माओवादियों दोनों की आलोचना करके ये मानवाधिकार संगठन कल्पना करते हैं कि वे एक तटस्थ और निष्पक्ष भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन वे यहां तक कि इन घटनाओं की श्रृंखलाओं के कारण और असर को नहीं देखते। वे स्वयं से यह आसान सा प्रश्न भी नहीं पूछते: यदि पुलिस और अर्धसैनिक बल स्कूलों पर कब्जा नहीं करते तो माओवादियों को नष्ट करने की क्या आवश्यकता है?[95]

वर्ष 2009 में, झारखंड उच्च न्यायालय ने, मानवाधिकार समूहों द्वारा दायर की गई एक याचिका की प्रतिक्रिया में, सुरक्षा बलों को छह महीने के भीतर राज्य के सभी स्कूलों के भवनों को खाली करने का आदेश दिये थे। नवम्बर 2009 में, राज्य सरकार और पुलिस ने न्यायालय को बताया कि 43 कब्जा किए गए स्कूलों में से 28 स्कूल खाली कर दिए गए हैं और "13 और स्कूलों को खाली करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।"[96] 18 जनवरी 2011 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को यह

---

[92] व्यावहारिक आर्थिक शोध राष्ट्रीय परिषद ने अर्ध शिक्षकों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के ऐसे शिक्षकों के रूप में परिभाषित किया है जिन्हें अनुबंध और उन नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया गया है जो उसी स्कूल में नियमित शिक्षकों से भिन्न हैं।

[93] भारत की सर्वोच्च न्यायलय, *तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ और अन्य में अनाथालयों में बच्चों का शोषण* 7 मार्च 2011।

[94] मानवाधिकार चौकसी, *भारत के बिहार और झारखंड राज्यों में तोड़-फोड़ किए गए स्कूलों, नक्सली हमलों और स्कूलों पर पुलिस का कब्जा*, दिसंबर 2009, http://www.hrw.org/reports/2009/12/09/sabotaged-schooling-0

[95] "कॉमरेड आजाद, प्रवक्ता, केंद्रीय समिति, सीपीआई (माओवादी), वर्तमान अभूतपूर्व सैन्य अभियान केंद्र और सीपीआई पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा (माओवादी) और सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी आंदोलन पर, "" माओवादी सूचना बुलेटिन, संख्या, 12, 31 अक्टूबर 2009 http://www.bannedthought.net/India/CPI-Maoist-Docs/Statements-2014/CC_Collected_Interviews_10th_Anniversary-Eng-View.pdf

96 आईएएनएस, (IANS) *छात्रों को राहत: सुरक्षा बलों ने झारखंड में 28 स्कूलों को खाली किया,* 11 नवंबर 2009,http://www.sify.com/news/students-breather-security-forces-vacate-28-schools-in-jharkhand-news-features-jlliObhheccsi.html

आदेश दिया कि वे "सुनिश्चित करें कि सुरक्षा बल आज से चार महीने की अवधि के भीतर सभी शिक्षण संस्थानों, स्कूलों के भवनों और छात्रावासों को खाली कर दें,"[97] जो हथियारबंद माओवादियों से लड़ रहे सुरक्षा बलों द्वारा कई राज्यों में स्कूलों के व्यापक उपयोग के बारे में चिंताओं को दर्शाता है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने दावा किया कि 2013 तक झारखंड राज्य में सभी स्कूलों को सुरक्षा बलों द्वारा खाली कर दिया गया था।

जबकि सैन्य दस्तों ने कुछ मामलों में देश के अन्य भागों में स्कूलों को बैरकों के रूप में उपयोग करना जारी रखा,[98] गृह मंत्रालय के अनुसार, देश भर में नष्ट किए गए स्कूलों की संख्या 2006 में 59 से गिर कर 2012 में केवल तीन रह गई है।[99] गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि 2010-2014 के बीच 'वामपंथी उग्रवादियों' द्वारा 19 स्कूलों पर हमले किये गये थे लेकिन जुलाई 2015 तक किसी भी हमले की सूचना प्राप्त नहीं हुई।[100]

जब स्कूलों को सैन्य बलों द्वारा कब्जे में लिया जाता है तो वे नागरिक लक्ष्य के रूप में अपनी सुरक्षा खो देते हैं और एक वैध सैन्य लक्ष्य बन जाते हैं। सुरक्षा बलों द्वारा स्कूलों पर कब्जा न केवल भवनों को माओवादियों द्वारा हमले के खतरे पर रखता है, बल्कि बच्चों को कक्षाओं में उपस्थित होने से रोकने के रूप में भी कार्य करता है। कई मामलों में, बच्चों को कक्षाओं को साझा करने या खुले में पढ़ने के लिये उपस्थित पर बाध्य करता है। लड़कियों के माता-पिता, सुरक्षा बलों द्वारा यौन शोषण के डर से, उन्हें स्कूल भेजना पसंद नहीं करते। बच्चे सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिए संदिग्धों के खिलाफ अत्याचारपूर्ण व्यवहार भी देखते हैं।[101]

कुछ स्कूलों पर संचालित किये गये माओवादी हमले इन क्षेत्रों के बच्चों के लिए उपलब्ध एकमात्र शैक्षिक अवसर को नष्ट कर सकते हैं, इनके कारण छात्रों और शिक्षकों को अपनी सुरक्षा का भय बना रहता है। उपाख्यानात्मक रिपोर्ट के अनुसार, वामपंथी सशस्त्र समूहों द्वारा ज़बरन भर्ती के भय ने दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों का स्कूल छोड़ देने में योगदान किया हो सकता है। एक अध्यापक ने पुलिस को सूचित किया कि वामपंथी सशस्त्र समूहों ने, 30 बच्चों की माँग करते हुए छतरा जिले के एक स्कूल में एक पोस्टर लगाया था, जिसकी हमें स्थानीय पुलिस अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई थी।[102] मई 2015 को बाल अधिकार संरक्षण के लिए झारखंड राज्य आयोग के साथ

---

[97] *नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़, रिट याचिका* (सिविल), नंबर 250 (2007), भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, 18 जनवरी 2011 का आदेश, http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/250200731812011p.txt

[98] हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन और ह्यूमन राइट्स वॉच,बाल अधिकारों पर समिति को भारत की तीसरी और चौथी आवधिक रिपोर्ट पर प्रस्तुति, 15 अगस्त 2013,http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/submission_on_the_third_and_fourth_periodic_report_of_india.pdf

[99] गृह मंत्रालय, माओवाद पर प्रश्नोत्तर।

[100] गृह मंत्रालय,*2010 से 2015 की अवधि के लिए वामपंथी उग्रवाद चरमपंथियों द्वारा देश भर में आर्थिक लक्ष्यों की घटनाएँ*(15 जुलाई 2015 तक), http://www.mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/LWEViolanceStatisticsAug2015.pdf

[101] ह्यूमन राइट्स वॉच, *op.cit., दिसंबर 2009 I*

[102] ज़ी न्यूज़, *झारखण्ड माओवादी बम लगाने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं*, 19 सितम्बर 2013, http://zeenews.india.com/news/jharkhand/jharkhand-maoists-training-children-to-plant-bombs_877758.html

एक बैठक में,[103] गुमला, लोहारदागा और लातेहार जिलों से माता-पिता ने आवासीय स्कूलों से उनके बच्चों की अवैध तस्करी [104] और सशस्त्र समूहों से रक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में उपयुक्त सुरक्षा के अभाव में वे अपने बच्चों को दूर भेजने के लिए मजबूर थे। [105] जबरन भर्ती से बच्चों की रक्षा करने में नाकाम रहने के दबाव के तहत, गुमला के पुलिस निरीक्षक, भीमसेन तूती, ने स्कूलों को सशस्त्र समूहों द्वारा भर्ती के प्रति छात्रों की अतिसंवेदनशीलता की निगरानी करने के लिये कहा, उन बच्चों के मामलों का पता लगाया जो स्कूल में उपस्थित रहने में विफल थेः "जब तक कि स्कूल छोड़ने के पीछे के कारण को जड़ से समाप्त नहीं किया जाता, तब तक भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना मुश्किल है।" [106]

स्कूलों में मौजूदा अरक्षितताओं और माओवादी भर्ती से बच्चों को बचाने की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए, भारतीय राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना एक बहस का विषय है कि बच्चे बिना भर्ती का भय किये सुरक्षित रूप से स्कूल तक पहुंच सकें। यद्यपि यह स्कूलों के आसपास सुरक्षा बलों की उपस्थिति के पक्ष में एक तर्क प्रदान कर सकता है, तब भी यह स्कूलों के सैन्य कब्जे से अलग है। [107]

2014 में, पीएलएफ़आई (PLFI) ने 500 से अधिक सरकारी स्कूलों को ऑपरेशन करो-1 के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के रूप में बंद करने के आदेश दिये, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा उनके विरुद्ध शुरू किया गया था। कई स्कूलों ने डर के कारण इस आदेश का पालन किया। हालाँकि, पीएलएफ़आई (PLFI) के प्रमुख दिनेश गोप ने कहा था कि: "यह हम नहीं, बल्कि सेना है जो स्कूलों पर कब्जा करने के लिये उन्हें बंद करने के लिये मजबूर कर रही है। ऑपरेशन करो-1 के दौरान सेना ने लगभग 300 स्कूलों पर कब्जा कर लिया था। शिक्षक और बच्चे भाग गए और कक्षाएँ निलंबित हो गई। पुलिस ने हम पर दोष डाल दिया।" [108] पीएलएफ़आई (PLFI) पर उन शिक्षकों की हत्या का भी आरोप लगाया जाता है जिन्होंने ज़बरन वसूली की माँग को मना किया। [109] दिनेश गोप ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) को बताया कि पीएलएफ़आई (PLFI) ने शिक्षकों को मार डाला जब वे "हमारे हितों और सुरक्षा के लिए हानिकारक कार्यों में लिप्त हो गए थे, ग्रामीणों के लिए खतरा बन गए थे या उन्होंने हमारे दुश्मनों के साथ गठबंधन कर लिया था।" [110]

---

[103] झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत 2012 में स्थापित किया गया था। अधिनियम में बच्चों के "बच्चों के खिलाफ अपराधों की या बाल अधिकारों के उल्लंघन की त्वरित सुनवाई" के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों तथा बाल न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, 2006 की संख्या 4, देखें http://indiacode.nic.in/

[104] झारखंड में बच्चों की अवैध तस्करी एक प्रमुख समस्या है, विशेष रूप से युवा लड़कियों की बंधुआ मजदूर या यौन दासों के रूप में, तस्करी ।

[105] आरती एस. साहूलियार, "बच्चों को बचाने हेतु स्कूल की किले बंदी के लिए माता-पिता," दि टेलीग्राफ, 5 मई 2015, http://www.telegraphindia.com/1150505/jsp/jharkhand/story_18219.jsp#.VUyTKU0cTFM

[106] मुकेश रंजन, "झारखंड पुलिस का कहना है कि स्कूलों को अलार्म बजाना चाहिए," *दि पायनियर*, 23 अप्रैल 2015, http://www.dailypioneer.com/print.php?printFOR=storydetail&story_url_key=schools-should-raise-alarm-says-jharkhand-police&section_url_key=state-editions

[107] लुसंस (Lucens) दिशानिर्देश देखें।

[108] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और 11 मई, 2015 दिनेश गोप, झारखंड-ओडिशा की सीमा के साथ हक़ (HAQ) का साक्षात्कार।

[109] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) के साथ एक साक्षात्कार में, पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने कहा था कि पीएलएफ़आई (PLFI) शिक्षकों की और उन लोगों की जो विकास के कार्य में शामिल हैं हत्या कर रही है।

[110] पूर्वोक्त (Ibid.)

4 राज्य का कर्तव्य सशस्त्र संघर्ष में शामिल बच्चों की रक्षा करना है न कि उन्हें सज़ा देना है।

वामपंथी सशस्त्र समूहों के साथ जुड़े बच्चों की सुरक्षा

भारत ने 2005 में ओपीएसी (OPAC) का अनुसमर्थन किया और यह सीआरसी (CRC) की भी एक पार्टी है। ओपीएसी (OPAC) के तहत वर्ष 2011 में बाल अधिकार समिति को प्रस्तुत अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में भारत ने अपनी लंबे समय से धारण की हुई स्थिति को दोहराया कि इसकी सीमाओं के भीतर हो रही सशस्त्र हिंसा अंतर्राष्ट्रीय या गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के समान नहीं है, और संविधान द्वारा आश्वस्त बच्चों के लिए विद्यमान सुरक्षाओं पर प्रकाश डाला। इनमें शामिल हैं: अनुच्छेद 21 (सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मनमाने ढंग से जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किए जाने का अधिकार); अनुच्छेद 39 (ई) (राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करना कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएँ दी जाती हैं, और यह कि उनकी शोषण के खिलाफ और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ रक्षा की जाती है); और अनुच्छेद 47 (राज्य पर यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व अधिरोपित करना कि बच्चों की समस्त आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं और यह कि उनके बुनियादी अधिकार पूरी तरह से संरक्षित किए जाते हैं।) [111]

इन गारंटियों के बावज़ूद, यदि विद्रोह के जवाबी हमले के अभियानों के दौरान वामपंथी सशस्त्र समूहों के साथ जुड़े बच्चों को हिरासत में लिया जाता है तो वे आगे मानव अधिकार उल्लंघनों के जोखिम पर हो सकते हैं। भारत के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, इस तरह के बच्चों के साथ "कानून के साथ संघर्ष में बच्चों" के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। (24 घंटे के भीतर किसी किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के समक्ष लाया जाना आवश्यक है और उन्हें किसी हवालात, आदि में रखा जाना निषेध है) अथवा "देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता में" एक बच्चे के रूप में (इस आवश्यकता के साथ कि उनके मामले का किसी बाल कल्याण समिति द्वारा निपटान किया जाए)। वास्तव में, यही किशोर न्याय अधिनियम, 2015, गैर-राज्य, स्वयंघोषित उग्रवादी समूह, बच्चे की भर्ती और उसका किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग या किसी भी व्यस्क या व्यस्क समूह द्वारा बच्चों का अवैध गतिविधियों के लिये उपयोग को गैर कानूनी घोषित करता है। हालाँकि, अधिनियम में यह नियम भी है कि कानून के साथ संघर्ष में 16-18 वर्ष की आयु के बीच के ऐसे बच्चों पर व्यस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है जिन्होंने "जघन्य अपराध" [112] किए हैं यदि जेजेबी (JJB) द्वारा ऐसा निर्देशित किया जाता है। इसमें ऐसे बच्चे शामिल हो सकते हैं जिन्हें राज्य से असम्बद्ध सशस्त्र समूहों के साथ जुड़े होने के कारण गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और / या अन्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया है और आरोपित किया गया है।

यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या राज्य से असम्बद्ध सशस्त्र समूहों के साथ जुड़े बच्चों के साथ व्यावहारिक रूप में कानून के साथ संघर्ष वाले बच्चों के रूप में या राज्य से असम्बद्ध सशस्त्र समूहों द्वारा भर्ती के अपराध के शिकार के रूप में व्यवहार किया जाएगा, जो उन्हें

---

[111] सीआरसी (CRC), ओपीएसी (OPAC) के अनुच्छेद 8, परिच्छेद 1 के तहत राज्यों के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विवेचन, 2007 में देय राज्यों के पक्षकारों की प्रारंभिक रिपोर्टें, भारत, UN Doc CRC/C/OPAC/IND/1, 7 मई 2013।

[112] अधिनियम में जघन्य अपराधों को ऐसे अपराधों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें भारतीय दंड संहिता के अधीन 7 वर्ष या अधिक का कारावास आवश्यक है।

उचित पुनर्वास, परामर्श और पुन-एकीकरण सेवाओं से वंचित कर कठोर दंड के जोखिम में परिणत हो जाएगा। स्पष्टता का यह अभाव इस संभावना को भी उठाता है कि उनके साथ व्यस्कों जैसा व्यवहार किया जा सकता है और किशोरों के रूप में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित किया जा सकता है,[113] और इस प्रकार उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा अवैध हिरासत और यातनाओं के व्यापक अवैध प्रथाओं के अधीन बढ़े जोखिम पर रखा जा सकता है।

बाल रंगरूटों के साथ प्रारम्भ में शिकार के रूप में व्यवहार करना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए, और केवल सशस्त्र समूहों में उनकी सदस्यता के कारण उन पर कभी भी मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। यदि किसी बच्चे को युद्धस्थिति में उसकी भागीदारी से उत्पन्न अपराधों के कारण आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ता है, तो उसे, अंतर्राष्ट्रीय किशोर न्याय मानकों के अन्तर्गत राष्ट्रीय कानून से प्राप्त होने वाले सभी कानूनी संरक्षण के अतिरिक्त, जिनमें किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों सहित सभी गारंटियाँ और संरक्षण प्रदान किए जाने चाहिए। सभी मामलों में, हिरासत अंतिम उपाय के रूप में और न्यूनतम समयावधि के लिए होना चाहिए।

झारखंड द्वारा 2011 झारखंड में अपनायी गई भारत-व्यापी एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और झारखंड राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (JSCPS) में पंजीकरण के साथ, [114], किशोर न्याय अधिनियम में निर्धारित किए अनुसार बच्चों के संरक्षण के लिए आवश्यक संरचनाओं का समर्थन करने हेतु नागरिक समाज और राज्य के बीच गठजोड़ को प्रोत्साहित करने के लिए अभिकल्पित की गई है। आईसीपीएस (ICPS) के अधीन अपनायी गई सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में से एक योजना सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना था और विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए देश के हर जिले में समितियों की स्थापना करना था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक पत्र में कहा गया था कि "वर्तमान बाल संरक्षण संस्थानों, नीतियों, कार्यक्रमों, सभी स्तरों पर उनके क्रियान्वयन में प्रमुख त्रुटियां और अंतर" को संबोधित करने के लिए यह योजना आवश्यक थी और यह कि प्रमुख बाल सुरक्षा सेवाओं के लिए नियुक्त किए गए असंख्य अधिकारी "अयोग्य" थे और यह कि वहां प्रशिक्षण की समग्र कमी थी।[115]

आईसीपीएस (ICPS) द्वारा परिकल्पित बाल कल्याण समितियाँ वर्तमान में भारत में स्थित सबसे महत्वपूर्ण बाल सुरक्षा तंत्रों में से हैं। उन्हें शक्तिशाली अर्ध-न्यायिक विशेषज्ञ निकाय माना जाता है जो सरकार के कल्याण अधिकारियों और पुलिस की निगरानी करती हैं, बच्चों की आवासीय देखभाल सुविधाओं का निरीक्षण करती हैं और किशोर न्याय कानूनों के अंतर्गत संरक्षण सुनिश्चित करती हैं। हालाँकि, यहाँ तक कि भारत के समृद्ध शहरों में भी, बाल कल्याण समितियों के पास उन बच्चों की सहायता करने के लिए पर्याप्त

---

[113] एशियाई मानवाधिकार केंद्र की एक रिपोर्ट, नोबॉडीज चिल्ड्रेन (*Nobody's Children*), 2013 में, 2010 में स्कूल की तीन लड़कियों को बिना उनकी उम्र सत्यापित किये गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोप लगाकर गिरफ्तार किये जाने के मामले का उल्लेख किया गया। उन्हें कथित तौर पर खूंटी जेल भेजा गया जिसका मुकदमा अभी तक लंबित है। एनसीपीसीआर (NCPCR) ने एक शिकायत के बाद कथित तौर पर हस्तक्षेप किया लेकिन यह ज्ञात नहीं हो सका कि अबतक क्या कार्रवाई की गई है।

[114] जेएससीपीएस (JSCPS) झारखंड में समेकित बाल संरक्षण योजना (IPCS) को क्रियान्वित करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

[115] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, समेकित बाल संरक्षण योजना, 2009, http://www.indg.in/social-sector/women-and-child-development/the_integrated_child_protection_scheme_icps.pdf

संसाधन नहीं हैं जिनके संरक्षण का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। झारखंड के अपने सभी 24 जिलों में बाल कल्याण समितियाँ हैं,[116] लेकिन नौ जिलों के सीडब्ल्यूसी (CWCs) में दिसंबर 2015 तक असंख्य रिक्तियाँ थी।

झारखंड के सभी 24 जिलों में जेजेबी (JJBs) हैं। इसके दस सुधार गृह (Observation Homes) भी हैं, लड़कों के लिए नौ और लड़कियों के लिए एक, और साथ ही गैर-सरकारी-संस्था द्वारा चलाए जा रहे शिशु देखभाल केन्द्र (चाइल्ड केयर सेंटर्स) हैं। इन संस्थानों से बाल सैनिकों सहित, कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किए जाने की अपेक्षा की जाती है। स्थानीय मानवाधिकार संगठन, बाल अधिकारों की रक्षा हेतु इन तंत्रों को सक्षम बनाने में राज्य की विफलता के बारे में, राज्य में स्थापित बच्चों के लिए संप्रेक्षण गृहों की कमी के बारे में विशेष रूप से मुद्दे उठाने के बारे में चिंतनशील हैं।[117] ओपीएसी (OPAC) के क्रियान्वयन पर भारत की पहली आवधिक रिपोर्ट की जाँच में, बाल अधिकार समिति ने बाल संरक्षण की दिशा में बजटीय आवंटन की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है।[118]

भारतीय प्राधिकारी माओवादियों और पीएलएफ़आई (PLFI) द्वारा बच्चों की भर्ती से अच्छी तरह अवगत हैं, और पुलिस पकड़े गए या आत्मसमर्पण करने वाले संदिग्धों के साथ साक्षात्कार के आधार पर माओवादी शिविरों में लड़कियों के यौन शोषण की नियमित रिपोर्ट करती है। अप्रैल 2015 में, डी. के. पांडे, झारखंड पुलिस महानिदेशक, ने चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल को बताया:

इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि विद्रोही गुट वहाँ से बच्चों को उठा रहे हैं जहाँ हमारे बलों ने सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन शीघ्र ही उनके नापाक इरादों को विफल करने के लिए हमारे पास एक ठोस योजना यथास्थान है।[119]

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर माओवादियों द्वारा जबरन भर्ती किए गए बच्चों का पता लगाने के लिए झारखंड पुलिस द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाईयों का स्वागत है, लेकिन बच्चों की रक्षा करने के लिए न्यायालय द्वारा सुरक्षा बलों को प्रेरित किए जाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बाल अधिकार समिति ने भारत से एक निगरानी प्रणाली स्थापित करने का आग्रह किया है जो परिवार के सदस्यों द्वारा गोपनीय तरीके से अधिकारियों को लापता बच्चों की रिपोर्ट करने और त्वरित तथा निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने की

---

[116] *सीआरवाई (CRY), बाल सखा के माध्यम से झारखंड में बाल संरक्षण तंत्र संरक्षण को मजबूत कर रहा है,* http://www.cry.org/about-cry/projects/strengthening-child-protection-mechanism-in-jharkhand-through-bal-sakha.html

[117] एशियाई मानवाधिकार केन्द्र, नोबॉडीज चिल्ड्रेन (Nobody's Children) देखें: *भारत के प्रभावित जिलों के कानून के साथ संघर्ष में किशोर (Juveniles of Conflict)*, 2013, पृ.22-23। बाल अधिकारों पर इस तथ्य के बारे में समिति द्वारा चिंता व्यक्त की गई है कि जेजे अधिनियम के अंतर्गत संचालित होने वाले संप्रेक्षण गृह (Observation Homes) कानून के साथ संघर्ष वाले बच्चों और संरक्षण की आवश्यकता वाले (अनाथ बच्चों, आदि), दोनों प्रकार के बच्चों को रखा जाए, जांच समाप्ति तक, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.)। CRC/C/IND/CO/3-4, परिच्छेद 88।

[118] संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) CRC/C/OPAC/IND/CO/1, 7 जुलाई 2014, परिच्छेद 12। यह मुद्दा सीआरसी (CRC), संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) पर भारत की तीसरी और चौथी आवधिक जांच समाप्ति रिपोर्ट में प्रतिबिम्बित होती है। CRC/C/IND/CO/3-4, 7 जुलाई 2014, परिच्छेद 17।

[119] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल का डी.के. के साथ साक्षात्कार पांडे, पुलिस महानिदेशक, झारखंड पुलिस, रांची, 30 अप्रैल 2015।

अनुमति देगी।[120] झारखंड में इस तरह की गोपनीय प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता प्रतीत होती है जो इस रिपोर्ट में माता-पिता के बीच सशस्त्र समूहों और सुरक्षा बलों से डर के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, यदि वे अपने बच्चों की जबरन भर्ती की रिपोर्ट करते हैं।

इस रिपोर्ट के लिए अनुसंधान के दौरान बच्चों के संरक्षण के बारे में सुरक्षा बलों के सदस्यों के साथ विचार-विमर्शों में बच्चों की किस प्रकार रक्षा करें इस बात पर एक प्रभावी रणनीति के अभाव को उजागर किया। झारखंड पुलिस के एक उप महानिरीक्षक ने हमें बताया कि अपहरण की रोकथाम के लिए उन्होंने सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था की है: "ऐसे माता पिता जिन्हें डर है कि माओवादी उनके बच्चों का अपहरण कर सकते हैं अपने आश्रितों के लिए सुरक्षा की माँग करते हुए हमारे पास आते हैं और हम उन्हें सुरक्षित स्थानों में रखने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। यह एक नियमित प्रक्रिया है। सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं वह है उन्हें विद्रोहियों के गढ़ों से दूर अच्छी तरह से संरक्षित आवासीय स्कूलों में रखना। लेकिन स्कूल छोड़ने वालों, विशेष रूप से लड़कों, के लिए, हम पुलिस थानों में आश्रय की व्यवस्था करते हैं।"[121] इस तरह के "संरक्षण" उपाय पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं, जो बच्चों को शोषण, भर्ती और बाल तस्करी के ओर ज्यादा बड़े जोखिम में डालते हैं।

जून 2014 में बाल अधिकार समिति ने सुरक्षा अभियानों के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के साथ बच्चों का, मुखबिरों या गाइड्स के रूप में उपयोग किए जाने के बारे में चिंता व्यक्त की है।[122] यह प्रथा स्पष्ट रूप से गोलीबारी की घटना में बच्चों को न केवल मौत या चोट, बल्कि माओवादी समूहों की ओर से बदला लेने के हमलों के जोखिम पर रखती है।

फरवरी 2007 में अपनाए गए पेरिस सिद्धांतों[123] में सरकारों के लिए उन कदमों से संबंधित स्पष्ट मार्गदर्शन निर्दिष्ट किए गए हैं जो उन्हें बच्चों की जबरन भर्ती को रोकने, उन्हें नुकसान से बचाने और उनकी रिहाई और पुनः-एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए उठाने चाहिए। उनमें कहा गया था कि बच्चों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभियोजन, जब वे सशस्त्र समूहों के सदस्य थे, अंतर्राष्ट्रीय किशोर न्याय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा, रिहाई और पुनर्वास के उपाय बिना किसी शर्त के किए जाने चाहिए। रिहाई के दौरान, बच्चों को एक "उचित, अनिवार्य, स्वतंत्र नागरिक प्रक्रिया," से गुजरना चाहिए और उनकी रिहाई के बाद अधिकांश बच्चों को जहां तक संभव हो सके शीघ्र किसी पारिवारिक और समुदायिक माहौल में लौटा देना चाहिए। ओपीएसी (OPAC) का अनुच्छेद 6 राज्यों को " यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करने के लिए बाध्य करता है कि कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान प्रोटोकॉल के विपरीत उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर भर्ती किए गए या युद्धस्थिति में उपयोग किए गए हैं उन्हें विघटित किया जाए अन्यथा सेवा से मुक्त किया जाए"। इसमें राज्यों को, "इस तरह के व्यक्तियों को उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ और उनके सामाजिक पुनः-एकीकरण के लिए सभी उचित सहायता देने" का प्रावधान भी किया गया है।

---

[120] संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) CRC/C/OPAC/IND/CO/1, 7 जुलाई 2014, परिच्छेद 33।

[121] चाइल्ड सोल्जर्स इंटरनेशनल और हक़ (HAQ) ने प्रवीण सिंह, डीआईजी, वायरलेस प्रभाग, झारखंड पुलिस, राँची, के साथ साक्षात्कार किया, 20 अप्रैल 2015।

[122] जांच समाप्ति तक, संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.)। CRC/C/IND/CO/3-4, जुलाई 2014, परिच्छेद 40।

[123] पेरिस सिद्धांत 30 जनवरी 2007, http://www.unicef.org/protection/files/ParisPrinciples310107English.pdf

दुर्भाग्य से, भारत सरकार को ओपीएसी (OPAC) के अंतर्गत अपेक्षित बाल सैनिकों की पहचान, बचाव, छोड़ने, और पुनर्वास के लिए एक अभी भी योजना विकसित करनी है। न ही इसने इस संबंध में सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सशस्त्र समूहों द्वारा भर्ती किए गए बच्चों से कैसे पेश आना है। माओवादियों के साथ संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों सहित, भारत के कई क्षेत्रों में स्थापित की गई "आत्मसमर्पण-सह पुनर्वास योजनाएँ" बच्चों के स्वास्थ्य लाभ और एकीकरण को समाविष्ट नहीं करती, [124] जैसा कि बाल अधिकार समिति ने 2014 में इशारा किया है। इसने सरकार से "लड़कियों सहित, उन सभी बच्चों, जिन्हें राज्य से असंबद्ध सशस्त्र समूहों द्वारा युद्धस्थिति में भर्ती या उपयोग किया गया है, उनकी पहचान, रिहाई, स्वास्थ्य लाभ और उनके परिवारों के साथ पुनः-एकीकरण के उद्देश्य से एक कार्यक्रम विकसित करने, और उनका प्रभावी और पारदर्शी वियोजन सुनिश्चित करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। उस संबंध में, यदि परिवारों का पता नहीं किया जा सकता या पहचान नहीं की जा सकती, तो वैकल्पिक सुरक्षात्मक आवास प्रदान किया जाना चाहिए।" [125]

सिफारिशें

<u>भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), पीएलएफ़आई (PLFI) और अन्य सशस्त्र समूहों के लिए:</u>

- राष्ट्रीय, आईएचएल (IHL) और मानव अधिकार कानूनों का आदर करें जो बच्चों की सैन्य भर्ती और उनके उपयोग का निषेध करते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती और उपयोग को परिभाषित किए अनुसार निषेध करने और रोकने के लिए सार्वजनिक संकल्प लिए जाने चाहिए। बच्चों की भर्ती और उनके उपयोग की अनुमति देने की नीति समाप्त करें।
- बच्चों की सभी तरह की भर्ती (स्वैच्छिक, जबरदस्ती, औपचारिक या अनौपचारिक) और युद्ध में सभी तरह से बच्चों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से सभी स्तरों पर सदस्यों को स्पष्ट सैन्य आदेश पुनः जारी किए जाने चाहिए। व्यापक रूप से आदेश प्रसारित करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
- बच्चों की भर्ती नहीं करने के लिये भर्ती प्रक्रियाओं में उम्र सत्यापन तंत्र शामिल करना सुनिश्चित करें।
- भर्ती में बच्चों को निशाना बनाने या अन्य गतिविधियों में संलग्न करने से बचें जो बच्चों को समूह में शामिल होने या, उनके साथ जुड़ने के माध्यम से उन्हें खतरे में डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है जिनमें उन्हें सिखाना, प्रशिक्षित करना या स्कूलों में उपस्थिति स्थापित करना और बच्चों द्वारा अन्य स्थानों का उपयोग करना शामिल है।
- जबरदस्ती, हिंसा, उन बच्चों, परिवार के सदस्यों या समुदायों के खिलाफ हिंसा की धमकियां और अन्य तरह के प्रतिशोध जो रंगरूट प्रदान करने से मना करते हैं।

---

[124] आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति (स्रोत गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट – 2009-10) देखें
2.7.28 एलडब्ल्यूई (LWEs) के आत्मसमर्पण-सह पुनर्वास दिशानिर्देश यथास्थान रख दिया गया है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है वज़ीफ़ा रु. रु.2,000 तीन साल के लिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण, तात्कालिक अनुदान रु. 1.5 लाख और हथियारों के समर्पण के लिए प्रोत्साहन।

[125] संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ (UN Doc.) CRC/C/OPAC/IND/CO/1, 7 जुलाई 2014, परिच्छेद 41।

- सदस्यों द्वारा बच्चों की भर्ती या उनके उपयोग के सभी आरोपों की जाँच करें। ऐसे सदस्य जो बच्चों की भर्ती करने या उनका उपयोग करने के समुचित रूप से संदिग्ध हैं उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए और उन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अन्य उचित अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगाये जाने चाहिये।
- बच्चों के खिलाफ बलात्कार और अन्य यौन हिंसा के सभी आरोपों की जांच की जानी चाहिए। बच्चों के खिलाफ बलात्कार या अन्य यौन हिंसा करने वाले संदिग्ध सदस्यों को यथोचित उनके पदों से हटाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अन्य उचित अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।
- राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत बच्चों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार हनन की जाँच और मुकदमे में प्रासंगिक राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
- जत्थे (रैंक) में मौज़ूद किसी भी बच्चे की पहचान और सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने हेतु बाल संरक्षण कर्ताओं के साथ सहयोग में सभी सदस्यों पर नज़र रखना; सभी शिविरों या अन्य सुविधाओं तक बाल संरक्षण एजेंसियों को पूर्ण और अबाधित प्रवेश की अनुमति प्रदान करें।
- प्रतिद्वंद्वी सशस्त्र समूहों या मुखबिरों के रूप में कार्य करने के संदिग्धों के बच्चों पर अत्याचार करना, उन्हें यंत्रणा देना, और उनकी हत्याएँ करना बंद करें।
- सशस्त्र समूह छोड़ने के कारण बच्चों के खिलाफ, और साथ ही उनके परिवारों या समुदायों के खिलाफ हिंसा, हिंसा की धमकियाँ, दंड या अन्य प्रतिशोध लेना बंद करें।
- स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संरक्षित स्थानों पर हमले समाप्त करें; बारूदी सुरंगों का उपयोग करना बंद करें।
- बच्चों की भर्ती और उनके उपयोग को समाप्त करने की नीतियों और उपायों को अपनाने और रैंक से उनकी सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयोजन से संयुक्त राष्ट्र या स्वतंत्र मानवतावादी संगठनों के साथ संवाद का प्रयास करें।

<u>भारतीय केंद्र सरकार के लिए:</u>

- असंबद्ध सशस्त्र समूहों द्वारा युद्धस्थिति में बच्चे की भर्ती और उसके उपयोग को किसी भी परिस्थिति में रोकने के सभी व्यवहार्य उपायों को करने के लिए ओपीएसी (OPAC) के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करें।
- सुनिश्चित करें कि माओवादी या अन्य सशस्त्र समूहों के साथ जुड़े बच्चों को निःशस्त्र किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए और उन्हें उनके समुदायों में पुनःएकीकृत किया जाए। लड़कियों की पहचान करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें मुक्त कराकर और पुनः एकीकृत प्रयासों के माध्यम से उनकी जरूरतें पूरी की जा रही हैं।
- माओवादी कमांडरों और सदस्यों और अन्य सशस्त्र समूहों को, जो बच्चों की भर्ती और उनके उपयोग, बलात्कार या यौन शोषण सहित बच्चों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार हनन के संदिग्ध हैं, उनपर ऐसे ट्रायल में जाँच करें और मुकदमा चलाएँ जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निष्पक्ष ट्रायल मानकों के अनुरूप है।
- सशस्त्र बलों में स्वैच्छिक भर्ती की न्यूनतम आयु को बढ़ा कर 18 वर्ष करें और ऐसा कानून अधिनियमित करें जो सभी सशस्त्र बलों और राज्य से असंबद्ध सशस्त्र समूहों द्वारा युद्धस्थिति में बच्चों की भर्ती और उनके उपयोग को प्रतिबंधित और गैर-कानूनी घोषित करता हो।

- सरकारी सुरक्षा बलों के ऐसे सदस्यों को उत्तरदायी बनाएँ जो ऐसे सशस्त्र समूहों या गुटों (माओवादियों का विरोध करने वाले) को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन (सैन्य, लॉजिस्टिक, वित्तीय, आदि) प्रदान करते हैं और जो बच्चों को भर्ती करते हैं या उनका उपयोग करते हैं या उनके खिलाफ अन्य गंभीर दुर्व्यवहार करते हैं।
- ऐसे सरकारी सुरक्षा बलों की जाँच करें और उनपर मुकदमा करें जो बच्चों के मनमाने ढंग से बंधक, उत्पीड़न या अवैध हत्याओं सहित मानव अधिकारों के उल्लंघन के संदिग्ध हैं।
- सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारें माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करती हैं जो बच्चों को स्कूलों में रखेगा और सशस्त्र समूहों में स्वैच्छिक भर्ती के लिए दंडात्मक कार्यवाही प्रदान करेगा।
- सुनिश्चित करें कि सुरक्षा बल स्कूलों का बैरकों के रूप में उपयोग करना बंद करें और नामित स्कूल सुरक्षित क्षेत्र रहें। संघर्ष में क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करें ताकि बच्चों की पहुँच शिक्षा तक लगातार बनी रहे।
- लुसंस दिशानिर्देश पृष्ठांकित करें, और कानूनों, नीतियों और सैन्य नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इनकी समीक्षा करें।
- सुनिश्चित करें कि ऐसे बाल सैनिकों, जो सशस्त्र समूहों से रिहा किए जाते हैं, भाग जाते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं या पकड़े जाते हैं, उनके साथ आईएचएल (IHL) मानकों और मानव अधिकार कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए और उन्हें तुरंत बाल संरक्षण कर्मियों को सौंप दिया जाए। ऐसे बच्चों को, सशस्त्र समूहों द्वारा भर्ती किए या उपयोग जाने के एकमात्र कारण से, हिरासत में नहीं रखा जाना या उनपर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, और न ही उनका खुफिया उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि यदि बच्चों को हिरासत में लिया जाता है, तो सीआरसी (CRC) के अंतर्गत भारत के दायित्वों के अनुरूप, यह केवल अंतिम उपाय के रूप में और न्यूनतम समयावधि के लिए हो और उन्हें हिरासत में व्यस्कों से अलग किया जाए;
- सुनिश्चित करें कि आसानी से पहचाने जाने योग्य आपराधिक जुर्म के आरोपी बच्चों के साथ, सीआरसी (CRC) के अंतर्गत भारत के दायित्वों के अनुरूप, किशोर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार व्यवहार किया जाए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो बच्चे भर्ती और सैनिकों के रूप में उपयोग किए जाने सहित गंभीर अपराधों के शिकार या साक्षी हैं, वे मुकदमे की कार्यवाही में सुरक्षित रूप से भाग ले सकें, ऐसे बच्चों के लिये अनुकूल प्रक्रियाओं की स्थापना के माध्यम सहित, आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाएँ।
- नागरिक समाज समूहों के साथ परामर्श से सक्षम और स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति द्वारा एनसीपीसीआर (NCPCR) को मजबूत बनाएँ। सुनिश्चित करें कि एनसीपीसीआर (NCPCR) के पास यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की प्रभावशीलता पर नजर रखने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारें एकीकृत बाल संरक्षण योजना को ठीक तरह से क्रियान्वित कर रही हैं, और उसके द्वारा स्थानीय स्तरों (गाँव, ब्लॉक और जिला) पर बाल संरक्षण समितियाँ बनाती हैं।

झारखंड और अन्य संबंधित राज्य सरकारों के लिए:

- किसी भी स्कूल नहीं जाने वाले और भर्ती करने के लिए अपहरण और तस्करी की संभावना वाले छात्र की जल्दी से पहचान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शुरू करना सुनिश्चित करके शिक्षा के अधिकार का अधिनियम लागू करें।
- सुनिश्चित करें कि माओवादी या उनसे अलग हुए दलों के साथ जुड़े बच्चों को निरस्त्र कर दिया गया है, छुड़ा लिया गया है और उनके समुदायों में एकीकृत कर दिया गया है। लड़कियों की पहचान करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें मुक्त कराकर और पुनः एकीकृत प्रयासों के माध्यम से उनकी जरूरतें पूरी की जा रही हैं।
- माओवादियों और अलग हुए दलों के समूहों, और साथ ही स्थानीय समुदायों को सूचित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना रणनीति लागू करें, कि बच्चों की भर्ती और उनका प्रयोग निषिद्ध है, बच्चों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए हानिकारक है।
- सशस्त्र समूहों द्वारा उनके अपहरण और जबरन भर्ती को रोकने के लिए बच्चों के लापता होने की शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया करें।
- ऐसे कमांडरों और माओवादी के सदस्यों और अन्य अलग हुए दलों के खिलाफ जिनपर बच्चों के विरूद्ध गंभीर मानवाधिकार हनन, यौन शोषण या बलात्कार आदि का संदेह है उनकी जांच करके ऐसा मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर निष्पक्ष सुनवाई के अनुरूप हों।
- सुनिश्चित करें कि यौन शोषण या बलात्कार से पीड़ित बच्चों की उचित परामर्श और चिकित्सा देखभाल तक पहुँच है। इस अपराध के अभियुक्तों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे का अनिवार्य पंजीकरण तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को राहत का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- प्राथमिक स्तर तक सार्वभौनिक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और उसे माध्यमिक तक बढ़ाने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अधीन दायित्वों को पूरा करें; सुनिश्चित करें कि संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल हमलों से संरक्षित हैं तथा बच्चों के लिए खुले और सुगम्य रहते हैं; सुनिश्चित करें कि स्कूलों में उचित संख्या में योग्य शिक्षक और अन्य कार्मिक नियुक्त किये गये हैं।
- समेकित बाल संरक्षण योजना के लिए संसाधन जुटा कर और योजना के तहत सूचीबद्ध मजबूत बाल संरक्षण तंत्र की स्थापना करके इसका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
- बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग और अन्य मानव अधिकार संरक्षण तंत्रों को मजबूत बनाएँ।
- सशस्त्र समूहों के साथ भर्ती के लिए विकल्प प्रदान करने हेतु संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम स्थापित करना।
- किशोर न्याय कानून का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करें ताकि बच्चों को संप्रेक्षण गृहों में स्थानांतरित किया जाए। सुनिश्चित करें कि इन सुविधाओं के लिए ठीक से संसाधन जुटाए जाएं ताकि बच्चों को उचित सहायता प्राप्त हो जो कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समुदायों में उनका पुनः-एकीकरण सक्षम बनाए।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो बच्चे भर्ती और सैनिकों के रूप में उपयोग किए जाने सहित गंभीर अपराधों के शिकार या साक्षी हैं, वे मुकदमे की कार्यवाही में सुरक्षित रूप से भाग ले सकें, ऐसे बच्चों के लिये अनुकूल प्रक्रियाओं की स्थापना के माध्यम सहित, आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाएँ।
- सुनिश्चित करें कि सुरक्षा बल स्कूलों को बैरकों के रूप में उपयोग करना बंद करें। सशस्त्र समूहों द्वारा क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करें ताकि बच्चों की पहुँच शिक्षा तक लगातार बनी रहे।
- राज्य की ऐसी पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उत्तरदायी बनाएँ जो ऐसे समूहों या गुटों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन प्रदान करती हैं जो माओवादियों का विरोध करते हैं या उनके दुर्व्यवहारों को अन्यथा अनदेखा करते हैं।
- राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बच्चों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखने, उनके साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न करने और उनकी हत्याएँ करने सहित, मानव अधिकारों के उल्लंघनों की जाँच करें और मुकदमा चलाएँ।

<u>संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए:</u>

- बच्चों की भर्ती और उनके उपयोग और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर दुर्व्यवहारों को रोकने और समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्धताएँ प्राप्त और क्रियान्वित करने के प्रयोजन से सशस्त्र समूहों के साथ संलग्नता की माँग करें।
- सशस्त्र समूहों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की निगरानी करें, जिसमें उनके सहयोग और अनुपालन पर नियमित रूप से सार्वजनिक रिपोर्टिंग करना शामिल है।
- बाल संरक्षण पर संवाद आरंभ करने और सशस्त्र समूहों के साथ जुड़े बच्चों की रिहाई की माँग करने के प्रयोजन से संयुक्त राष्ट्र और स्वतंत्र मानवतावादी कर्ताओं को सशस्त्र समूहों तक अभिगमन की अनुमति के लिए भारत सरकार पर दबाव डालें।
- सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की अवैध भर्ती या उनके उपयोग को रोकने और उनकी रिहाई और पुनःएकीकरण में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और समुदायिक प्रयासों और क्षमता का समर्थन और विकास करें।
- माओवादियों तथा अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और उनका उपयोग रोकने के लिए आवश्यक उपायों सहित, ओपीएसी (OPAC) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक व्यापक रणनीति क्रियान्वित और अभिकल्पित करने के लिए भारत में अधिकारियों का समर्थन करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों के खिलाफ किए गए मानव अधिकारों के हननों को, उनके भर्ती और उपयोग सहित, जाँच और राष्ट्रीय न्यायालयों में अभियोजन के लिए प्राथमिकता दी जाती है, भारत को प्रोत्साहित करें।
- माओवादी और अन्य स्प्लिंटर समूहों के साथ जुड़े बच्चों के एकीकरण और रिहाई में, यदि आवश्यक हो, तो तकनीकी सहायता प्रदान करें। जिनमें ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया देते हैं।

CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL

Child Soldiers International
9 Marshalsea Road
London, SE1 1EP
+44 (0) 20 7367 4110
info@child-soldiers.org
www.child-soldiers.org